[2019] 3 एस. सी. आर 845

के. शशिधर

वी.

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस।

(2018 की सिविल अपील No.10673)

5 फरवरी, 2019

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:

एस. 30 (2) और (4), 31,33 और 61 (3)-कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.)-समाधान योजना को विवादित लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया।

इस आधार पर आदेश दें कि योजना को कम का समर्थन नहीं मिला

वित्तीय लेनदारों का 75 प्रतिशत से अधिक मतदान हिस्सा

ऋणदाताओं की समिति (सी. ओ. सी.)-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः प्राप्त होने पर एक "अस्वीकृत" समाधान योजना, निर्णय प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) है

परिसमापन प्रक्रिया यू/एस शुरू करने के लिए बाध्य। 33 (1) - इसके पास सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक निर्णय का विश्लेषण या मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं है

या समाधान योजना की अस्वीकृति के औचित्य की जांच करना

असहमत वित्तीय लेनदारों द्वारा-विधायिका, सचेत रूप से, "वाणिज्यिक ज्ञान" को चुनौती देने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है

व्यक्तिगत वित्तीय लेनदारों या उनके सामूहिक निर्णय

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष-न्यायनिर्णायक का विवेकाधिकार

के अपेक्षित प्रतिशत द्वारा "अनुमोदित" समाधान योजना का वित्तीय लेनदारों का मतदान हिस्सा निवेश के प्रावधान

एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. में अधिकार क्षेत्र और प्राधिकरण ने सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित नहीं करने का वाणिज्यिक निर्णय नहीं लिया है।

समाधान योजना या उसी को अस्वीकार करना, न्यायसंगत-मामले या

आधार यू/एस। 30 (2) या यू/एस। 61 (3) सी. ओ. सी. द्वारा "अनुमोदित" समाधान योजना की वैधता का परीक्षण करने के संबंध में हैं न कि अनुमोदन के लिए।

समाधान योजना जिसे अस्वीकार कर दिया गया है या माना गया है

सी. ओ. सी. द्वारा अपने व्यावसायिक निर्णय के प्रयोग में अस्वीकार कर दिया गया

इसलिए न तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और न ही

अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को असहमत वित्तीय संस्थाओं के वाणिज्यिक विवेक को उलटने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है।

लेनदार-चूंकि आई एंड बी संहिता की धारा 30 (2) या धारा 61 (3) के तहत उपलब्ध आधारों में से कोई भी वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में आकर्षित नहीं है, इसलिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के साथ-साथ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के पास यह दर्ज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था कि प्रस्तावित समाधान योजना को अस्वीकार कर दिया गया था-संशोधन अधिनियम में समाधान योजना के अनुमोदन के लिए नए मानदंड और योग्यता मानक की शुरुआत (प्रतिशत की सीमा आवश्यकता को कम करना)।

66 प्रतिशत तक वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का) संभावित संचालन होगा-एन. सी. एल. ए. टी. संशोधित प्रावधान के आधार पर मामले की जांच नहीं कर सकता था-उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार नहीं कर सकता है और संशोधित प्रावधान के आलोक में कार्यवाही पर नए सिरे से विचार करने के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष दोनों मामलों में पक्षों को खारिज नहीं कर सकता है-एन. सी. एल. ए. टी. ने न्यायसंगत निष्कर्ष निकाला है कि समाधान योजना को वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के आवश्यक प्रतिशत द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और 270 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किसी भी वैकल्पिक समाधान योजना के अभाव में, अपरिहार्य अगली कड़ी परिसमापन प्रक्रिया शुरू करना है। 33 - भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016-विनियम। 25 और 39.

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2017 दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018-भारत का संविधान-अनुच्छेद। 142 .

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. दोनों निगमों से संबंधित समाधान योजना

लेनदार। इसके अपरिहार्य परिणाम प्रस्तावित समाधान योजना को अस्वीकृत या अस्वीकृत माना जाना है। असहमत वित्तीय लेनदारों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (दिवाला) के विनियमन 2 (1) (एफ) में 'असहमत वित्तीय लेनदारों' शब्द को परिभाषित किया गया है।

निगमित व्यक्तियों के लिए समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का अर्थ उन वित्तीय लेनदारों से है जिन्होंने समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के खिलाफ मतदान किया। इस परिभाषा को बाद में डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2018 से संशोधित किया गया जिसका अर्थ है वित्तीय ऋणदाता जिन्होंने समाधान योजना के खिलाफ मतदान किया या समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के लिए मतदान से दूर रहे। [पैरा 24] [883-एफ-एच] के. शशिधर बनाम।

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस।

2. कॉरपोरेट देनदार के. एस. और पी. आई. पी. एल. के मामले में, समाधान योजना, जब इसे 27 अक्टूबर, 2017 को आयोजित सी. ओ. सी. की बैठक में मतदान के लिए रखा गया था, तो वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के केवल 55.73% की मंजूरी प्राप्त कर सकी और भले ही

ईमेल द्वारा दी गई मंजूरी (10.94% द्वारा) को ध्यान में रखा जाता है, यह वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 75 प्रतिशत से कम के आवश्यक वोट को पूरा नहीं करता है। दूसरी ओर, समाधान योजना को सी. ओ. सी. की बैठक में 15.15% द्वारा और बाद में अतिरिक्त रूप से ईमेल द्वारा 11.82% द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। इस प्रकार, समाधान योजना को वित्तीय लेनदारों के कम से कम 25 प्रतिशत मतदान हिस्से द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। ऐसे मामले में, समाधान पेशेवर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आई एंड बी कोड) की धारा 30 (6) के तहत समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं था। इसके बजाय, यह एक ऐसा मामला था जिसे आई एंड बी संहिता की धारा 33 (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आगे बढ़ाया जाना था। इसी तरह, निगमित देनदार आई. आई. एल. के मामले में, समाधान योजना को मंजूरी मिली वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का केवल 66.57% और 33.43% ने समाधान योजना के खिलाफ मतदान किया। यह निर्विवाद स्थिति होने के कारण, एन. सी. एल. ए. टी. ने राय दी कि समाधान योजना को सी. ओ. सी. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और सहवर्ती दो कॉर्पोरेट देनदारों से संबंधित परिसमापन प्रक्रिया शुरू करना है। [पैरा 25] [883-ए-डी]

3. विनियम 25 और 39 को सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (4) के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।

समाधान योजना। इसके लिए, "वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का प्रतिशत" अनुमोदन करने के साथ-साथ असहमति की गणना करने की आवश्यकता है। यह उपस्थित सदस्यों के आधार पर नहीं है और

इस तरह से मतदान करें। किसी भी तरह से, अनुमोदन करने वाले मतों को वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के सीमा प्रतिशत को पूरा करना चाहिए।

इस स्पष्ट अंतर को ध्यान में रखते हुए, यह पालन करना चाहिए कि संबंधित निगमित देनदारों से संबंधित समाधान योजना,

माना जाता है कि के. एस. एंड पी. आई. पी. एल. और आई. आई. एल. को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि यह वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 75 प्रतिशत से कम के आवश्यक सीमा मतों की मंजूरी जुटाने में विफल रहा है। किसी अन्य निर्माण को स्वीकार करना संभव नहीं है या

व्याख्या, जो यहाँ पहले जो उल्लेख किया गया है, उसके विपरीत हो सकती है। [पैरा 29] [886-जी-एच; 887-ए, बी] [2019] 3 एस. सी. आर.

दोनों निगमित देनदारियों के सम्मान को वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के "75 प्रतिशत से कम" के वोट द्वारा अनुमोदित किया गया था या अस्वीकार कर दिया गया था। उस स्थिति में, अपरिहार्य परिणाम परिसमापन प्रक्रिया शुरू करना है आई एंड बी संहिता की धारा 33 के अनुसार संबंधित निगमित देनदार। [पैरा 30] [887-सी]

5. "अस्वीकृत" समाधान योजना की प्राप्ति पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) से और कुछ करने की अपेक्षा नहीं की जाती है; लेकिन इसके तहत परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य है।

आई एंड बी संहिता की धारा 33 (1)। विधायिका ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया है या

वाणिज्यिक निर्णय का विश्लेषण या मूल्यांकन करने का अधिकार

असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों द्वारा समाधान योजना की अस्वीकृति के औचित्य की जांच करना सी. ओ. सी. के लिए बहुत कम है। [पैरा 33] [889-डी, ई]

6. विधायी इतिहास और जिस पृष्ठभूमि में आई एंड बी संहिता लागू की गई है, उससे यह पता चलता है कि चूक करने वाली कंपनियों से बकाया ऋण की वसूली में तेजी लाने के लिए एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण अपनाया गया है। नए दृष्टिकोण में,

एक त्वरित समाधान प्रक्रिया के बाद एक शांत अवधि होती है 270 दिनों (बाहरी सीमा) के भीतर पूरा किया जाए, जिसमें विफल रहने पर परिसमापन प्रक्रिया की शुरुआत को अपरिहार्य और अनिवार्य बना दिया गया है।

पहले की व्यवस्था में, निगमित देनदार अनिश्चित काल के लिए बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 की धारा 22 के तहत या ऐसे अन्य अधिनियमों के तहत दिए गए संरक्षण का आनंद लेना जारी रख सकता था, जिन्हें अब छोड़ दिया गया है। इसके अलावा, सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, ताकि बताई गई प्रक्रियाओं को पूरा किया जा सके। आई एंड बी कोड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर। एक आंतरिक धारणा है कि वित्तीय लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार की व्यवहार्यता और प्रस्तावित समाधान योजना की व्यवहार्यता के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाता है। वे प्रस्तावित समाधान योजना की गहन जांच और उनके विशेषज्ञों की टीम द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर कार्य करते हैं। सी. ओ. सी. की बैठकों में मतदान के माध्यम से उचित विचार-विमर्श के बाद उनके द्वारा व्यक्त की गई विषय वस्तु पर राय, मतदान शेयरों के अनुसार, एक सामूहिक व्यवसाय है।

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस।

निर्णय लें। विधायिका, सचेत रूप से, के "वाणिज्यिक ज्ञान" को चुनौती देने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है

व्यक्तिगत वित्तीय लेनदार या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष उनका सामूहिक निर्णय। इसे गैर-न्यायोचित बना दिया जाता है। [पैरा 33] [889-ई-एच; 890-ए, बी]

7. नवंबर 2015 की दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट में सी. ओ. सी. को विभिन्न संभावनाओं का मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए प्राथमिकता दी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है

इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि समय-सीमा होना इसका सार है

समाधान प्रक्रिया। इसके बाद यह उन सिद्धांतों को संदर्भित करता है जो नए दिवाला दिवालियापन समाधान ढांचे के काम को आगे बढ़ाते हैं।

[पैरा 34] [890-बी, जी]

8. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एन. सी. एल. टी.) का विवेकाधिकार है

धारा 31 द्वारा सीमित वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के अपेक्षित प्रतिशत द्वारा "अनुमोदित" समाधान योजना की जांच तक सीमित है। यहाँ तक कि उस जाँच में भी, जिन आधारों पर

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है जो धारा 30 (2) में निर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में है, जब समाधान योजना उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। धारा 30 (2) पर लौटते हुए, की जाने वाली जांच इस संबंध में है कि क्या समाधान योजना में निम्नलिखित प्रावधान हैंः ((i) भुगतान

निगमित देनदार के अन्य ऋणों के पुनर्भुगतान की प्राथमिकता में एक निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत, (ii) परिचालन लेनदारों के ऋणों का पुनर्भुगतान।

निर्दिष्ट सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 188 के तहत स्थापित किया गया है। बोर्ड की शक्तियों और कार्यों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - आई एंड बी संहिता की धारा 196। बोर्ड के निर्दिष्ट कार्यों में से कोई भी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस तरीके को विनियमित करने से संबंधित नहीं है जिसमें वित्तीय लेनदारों को सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना पर मतदान के दौरान अपने व्यावसायिक ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतदान के समय वित्तीय लेनदारों की व्यक्तिपरक संतुष्टि विभिन्न कारकों का एक मिश्रित बोझ होना तय है। समझदारी से, व्यवहार्यता और [2019] 3 एस. सी. आर.

प्रस्तावित समाधान योजना की व्यवहार्यता और प्रस्तावित योजना को वास्तविकता में बदलने के लिए समाधान आवेदक की सामान्य क्षमता के बारे में उनकी धारणाओं को शामिल करना। समाधान आवेदक ने मानक डेटा द्वारा समर्थित अनुमान दिए होंगे।

लेकिन फिर भी असहमत वित्तीय लेनदारों की राय में, यह अटकलों से मुक्त नहीं होगा। ये पहलू पूरी तरह से वित्तीय लेनदारों के दायरे में आते हैं, जिन पर विचार किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 30 (4) के तहत संकल्प योजना पर मतदान करना। [पैरा 35] [892-डी-एच; 893-ए, बी]

9. अपीलीय प्राधिकरण की अधिकारिता की चौड़ाई और अपील के आधारों सहित अपील का उपचार कानून का एक हिस्सा है। एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. में अधिकार क्षेत्र और प्राधिकरण का निवेश करने वाले प्रावधानों ने समाधान योजना को मंजूरी नहीं देने या उसे अस्वीकार करने के सी. ओ. सी. द्वारा प्रयोग किए गए वाणिज्यिक निर्णय को न्यायोचित नहीं बनाया है। इस स्थिति को मजबूत किया जाता है

अपील करने के लिए निर्दिष्ट सीमित आधार, वह भी धारा 31 के तहत "समाधान योजना को मंजूरी देने" के आदेश के खिलाफ। पहला, कि अनुमोदित समाधान योजना उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। दूसरा, कॉर्पोरेट दिवालियापन के दौरान "समाधान पेशेवर द्वारा" शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है।

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट। महत्वपूर्ण रूप से, मामले या आधार - यह धारा 30 (2) के तहत या आई एंड बी कोड की धारा 61 (3) के तहत-"अनुमोदित" प्रस्ताव की वैधता का परीक्षण करने के संबंध में है।

सी. ओ. सी. द्वारा योजना; और समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए नहीं जिसे अस्वीकार कर दिया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है

सी. ओ. सी. अपने व्यावसायिक निर्णय का अभ्यास कर रहा है। [पैरा 37] [894-ए-ई]

10. ऐसी अपील में जांच धारा के तहत समाधान पेशेवर द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति तक सीमित होगी। 30 (2) आई एंड बी संहिता की धारा 31 (2) के साथ पठित आई एंड बी संहिता की धारा 31 (1) के तहत आई एंड बी संहिता की धारा 31 (2) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा। किसी अन्य जांच की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, अधिकार क्षेत्र

अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को भी स्पष्ट रूप से के. शशिधर बनाम दिया गया है।

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस।

परिवेष्टित। यह केवल सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 (3) में निर्दिष्ट आधारों के संबंध में चुनौती की जांच कर सकता है, जो स्वायत्तता या स्वायत्तता की जांच के अलावा अन्य मामलों तक सीमित है।

असहमत वित्तीय लेनदारों का वाणिज्यिक ज्ञान। इस प्रकार, निर्धारित प्राधिकरणों (एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी.) को संपन्न किया गया है।

आई एंड बी संहिता में निर्दिष्ट सीमित अधिकार क्षेत्र के साथ और इक्विटी के न्यायालय के रूप में कार्य करने या पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नहीं।

[पैरा 38] [894-एफ-एच]

11. इसलिए, न तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और न ही अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को असहमत वित्तीय लेनदारों के वाणिज्यिक ज्ञान को उलटने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है और वह भी इस आधार पर कि यह केवल अल्पसंख्यक वित्तीय लेनदारों की राय है। तथ्य यह है कि

पर्याप्त या बहुमत प्रतिशत वित्तीय लेनदारों ने समाधान योजना को मंजूरी दे दी है, जब तक कि अनुमोदन वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 75 प्रतिशत से कम (2018 डब्ल्यू. ई. एफ. के संशोधन के बाद, 66 प्रतिशत) के वोट से नहीं होता है, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। परिसमापन प्रक्रिया की क्रिया अध्याय में अभिनिर्धारित है

12. मान लीजिए, उन निगमित ऋणदाताओं के संबंध में समाधान योजना की प्रक्रिया आवश्यक है जिनमें उनके वित्तीय ऋणदाताओं ने वसूली की उम्मीद खो दी है और जो गैर-निष्पादक या दीर्घकालिक चूककर्ता बन गए हैं। तथ्य यह है कि संबंधित निगमित देनदार अभी भी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने में सक्षम था, वित्तीय लेनदारों को देय ऋण की वसूली को स्थगित करने या अपने नुकसान को अनिश्चित काल तक बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं करता है। चाहे जो भी हो, जांच का दायरा और जिन आधारों पर सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना के "अनुमोदन" के निर्णय में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, वह [2019] 3 एस. सी. आर. है।

धारा 30 (2) के साथ पठित धारा 31 (1) में और धारा 61 (3) के साथ पठित धारा 32 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा आई एंड बी कोड। विधानमंडल द्वारा समाधान पेशेवर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) या उस मामले के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को सी. ओ. सी. के "वाणिज्यिक निर्णय" को उलटने के लिए सशक्त बनाने के लिए किसी भी संबंधित प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है।

प्रस्तावित समाधान योजना का समर्थन करना। जबकि, विधायी इतिहास से इस बात के विपरीत संकेत मिलते हैं कि वित्तीय लेनदारों के वाणिज्यिक या व्यावसायिक निर्णय इसके लिए खुले नहीं हैं।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कोई न्यायिक समीक्षा। [पैरा 42] [896-बी-ई] 13. आई एंड बी कोड और अक्टूबर 2017 में लागू होने वाले उसके तहत बनाए गए नियमों में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी

किसी समाधान योजना को अस्वीकार करने या अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करने के लिए वित्तीय लेनदारों को असहमत करना। इसके अलावा, सूचना और प्रसारण संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को प्रस्तावित समाधान योजना को अस्वीकार करने या उसकी न्यायिक समीक्षा में शामिल होने में असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के दृष्टिकोण की न्यायसंगतता की निगरानी करने का अधिकार देता है। सहमति से, समाधान पेशेवर द्वारा जांच सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना पर विचार करने से पहले की जाती है। समाधान पेशेवर को क्षेत्र के भीतर के मामलों पर अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है आई एंड बी कोड की धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना को मंजूरी या अस्वीकार करने के लिए वित्तीय लेनदार। सबसे अच्छा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) "अनुमोदित" मामले की जांच करा सकता है।

आई एंड बी संहिता की धारा 31 (1) के साथ पठित धारा 30 (2) में निर्दिष्ट सीमित आधारों पर समाधान योजना। यह कुछ भी नहीं कर सकता है

अन्य जांच और न ही वित्तीय लेनदारों के वाणिज्यिक विवेक के प्रयोग के संबंध में कोई निर्देश जारी करने के लिए सक्षम है-चाहे वह अनुमोदन, अस्वीकार या अनुपस्थित रहने के लिए हो, जैसा भी मामला हो। यहां तक कि अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष जांच भी

आई एंड बी कोड की धारा 61 (3) के तहत आधारों तक सीमित। यह जांच करने के लिए अधिकार क्षेत्र का अनुमान नहीं लगाता है

वित्तीय लेनदारों द्वारा व्यक्त की गई राय की निष्पक्षता

मतदान का समय। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को अपनाने से अल्पसंख्यक असहमत वित्तीय लेनदारों को भी अधिकांश वित्तीय लेनदारों द्वारा व्यक्त की गई वाणिज्यिक राय के तर्क या न्याय पर सवाल उठाने में मदद मिलेगी, भले ही मतदान हिस्सेदारी के अपेक्षित प्रतिशत के. शशिधर बनाम.

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस।

समाधान योजना को अनुमोदित करना; और इस प्रक्रिया में ऐसी चुनौती को स्वीकार करने पर अनुमोदित समाधान योजना को अस्वीकार करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अधिकृत करना। यह दायरा नहीं है

समाधान योजना के अनुमोदन से संबंधित सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में निहित है। [पैरा 44] [896-एच; 897-ए-ई]

270 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति, अपरिहार्य अगली कड़ी संबंधित निगमित देनदार के खिलाफ परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करना है। आई एंड बी कोड के अध्याय III में निर्दिष्ट। [पैरा 45] [897-एफ, जी]

15.1 दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 की संख्या 8) को लागू माना जाता है -

इस संशोधन के बारे में "इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता, और ऐसी अन्य आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं" शब्दों का सम्मिलन है। इसके अलावा, उप-धारा (4) में तीन प्रावधान जोड़े गए हैं। संशोधन केवल यह घोषणा करने के लिए है कि वित्तीय लेनदारों को समाधान योजना पर अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और ऐसी अन्य आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं-इसे अनुमोदित करने या न करने के लिए। यह प्राथमिक है कि वित्तीय लेनदार (ज्यादातर मामलों में राष्ट्रीय बैंकर हैं), जिन्हें प्रस्तावित समाधान योजना पर विचार करने के लिए कहा जाता है, वे इस पर विचार करेंगे। बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और ऐसी अन्य आवश्यकताओं सहित सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखना। इसके अतिरिक्त, वित्तीय ऋणदाताओं को यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि विधायी उद्देश्य निगमित ऋणदाताओं का समाधान और पुनरुद्धार करना है ताकि न केवल निगमित ऋणदाता बल्कि अन्य हितधारकों को भी समान रूप से लाभ हो। [पैरा 46,47] [898-सी, एच; 899-ए-डी] [2019] 3 एस. सी. आर.

15.2 संशोधित प्रावधान केवल इस बात को दोहराता है कि वित्तीय लेनदारों से इस दौरान क्या ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है।

समाधान योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर विचार करते समय अपनी पसंद व्यक्त करना। न अधिक और न ही कम। निर्विवाद रूप से, विधायिका ने जानबूझकर एक आधार प्रदान नहीं किया है

वित्तीय लेनदारों द्वारा व्यक्त "वाणिज्यिक निर्णय" के औचित्य को चुनौती दें-चाहे वह समाधान योजना को मंजूरी देना हो या अस्वीकार करना हो। मतदान द्वारा इस प्रकार व्यक्त की गई राय गैर-न्यायोचित है। इसके अलावा, वर्तमान मामलों में, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि संबंधित समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अन्य आवश्यकताओं को असहमत वित्तीय लेनदारों द्वारा पूरा नहीं किया गया है। आई एंड बी संहिता की धारा 188 के तहत स्थापित बोर्ड आई एंड बी संहिता की धारा 196 में निर्दिष्ट शक्तियों और कार्यों को पूरा कर सकता है। यह बोर्ड को समाधान योजना के अनुमोदन या परिसमापन के मामलों में वित्तीय लेनदारों द्वारा वाणिज्यिक निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने का अधिकार नहीं देता है। प्रक्रिया। इस प्रकार देखे जाने पर, विचाराधीन संशोधन करता है

16.1 धारा 30 (4) में संशोधन द्वारा जो 6 जून, 2018 से लागू हो गया है, दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 की संख्या 8)। संकल्प के अनुमोदन के लिए एक नया मानक और योग्यता मानक

योजना बनाई गई है। इसे एक घोषणात्मक/स्पष्टीकरणात्मक या सख्त संवेदी प्रक्रियात्मक मामले के रूप में नहीं माना जा सकता है। जबकि, कथित संशोधन अधिनियम यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि यह

यह माना जाएगा कि यह 6 जून, 2018 को लागू हुआ था। इस प्रकार, 2018 के संशोधन अधिनियम की धारा 23 (iii) (ए) में केवल "प्रतिस्थापित" अभिव्यक्ति का उपयोग करके, यह प्रावधान नहीं करेगा

संचालन में पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी प्रभाव होना। यह व्याख्या इस तथ्य से प्रबलित होती है कि कोई संकेत नहीं है।

16.2 यहां तक कि मार्च, 2018 की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट में भी इसे पेश करने का उल्लेख नहीं है। धारा 30 (4) में संशोधन, पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ सीमा आवश्यकता के संबंध में।

वास्तव में, के. शशिधर बनाम. भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस।

उन्होंने महसूस किया कि इसे बढ़ाकर 44 प्रतिशत किया जाना चाहिए। [पैरा 52] [901-जी, एच] 16.3 2018 का संशोधन अधिनियम 6 जून, 2018 से लागू हो गया है, इसलिए इसके लागू होने की संभावना है

आवेदन और केवल समाधान योजना के अनुमोदन से संबंधित उस तारीख को या उसके बाद लिए गए सी. ओ. सी. के निर्णयों पर लागू होता है। [पैरा 53] [903-एफ]

16.4 हालाँकि, वर्तमान मामले में, धारा 30 (4) से संबंधित विचाराधीन संशोधन, सी. ओ. सी. के निर्णयों के लिए मतदान हिस्सेदारी सीमा को संशोधित करने के लिए है और इसे स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह प्रक्रिया से संबंधित सी. ओ. सी. के निर्णय की गणना के लिए योग्यता मानकों को बदल देता है।

समाधान योजना का अनुमोदन। शासी प्रावधानों के संदर्भ में अक्टूबर 2017 में पार्टियों और विशेष रूप से असहमत वित्तीय लेनदारों के बीच स्पष्ट किए गए अधिकारों/दायित्वों को केवल विधायिका द्वारा उस ओर से बनाए गए कानून द्वारा विभाजित या पूर्ववत किया जा सकता है। समिति की रिपोर्ट या 2018 के संशोधन अधिनियम में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि विधायिका 6 जून, 2018 से पहले लिए गए सी. ओ. सी. के निर्णयों को वापस लेने का इरादा रखती है। यह समझना संभव नहीं है कि मतदान हिस्सेदारी के सीमा प्रतिशत को कम करने वाले संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानों को प्रकृति में घोषणात्मक या स्पष्टीकरणात्मक कैसे माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में एन. सी. एल. ए. टी. संशोधित प्रावधान के आधार पर मामले की जांच नहीं कर सकता था। इसी कारण से, एन. सी. एल. टी. इन मामलों में एक अलग दृष्टिकोण नहीं अपना सकता था। इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। [पैरा 58] [907-डी-एफ]

16.5 4 जुलाई, 2018 से लागू हुए विनियम 39 के संशोधन से पहले विनियम 39 (3) में केवल यह प्रावधान था कि समिति किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।

इस तरह के संशोधनों के साथ योजना बनाएँ जो उन्हें उचित लगे। सबसे पहले, विनियमन में संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है ताकि संबंधित निगमित देनदार के सी. ओ. सी. के निर्णय को प्रभावित किया जा सके-जो उक्त विनियमन के संशोधन से पहले लिया गया था। संहिता में संशोधित या विनियमों में यह सुझाव देने के लिए कोई संकेत नहीं है कि इस संशोधन के परिणामस्वरूप संबंधित सी. ओ. सी. द्वारा 3 जुलाई, 2018 से पहले लिए गए निर्णय [2019] 3 एस. सी. आर. होंगे।

माना जाता है कि दूषित किया गया है या उस मामले के लिए, कारणों को दर्ज करने के लिए सी. ओ. सी. को प्रस्ताव को वापस करने की आवश्यकता है, वह भी 270 दिनों की वैधानिक अवधि से परे। समाधान योजना में एक नया जीवन नहीं डाला जा सकता है जो नहीं था इस तरह के परिपथ मार्ग द्वारा वैधानिक अवधि के भीतर फलदायी। [पैरा 59 और 60] [907-एच; 908-सी, डी]

16.6 यह मानते हुए कि यह प्रावधान वर्तमान मामलों पर लागू था, अनुमोदन के कारणों को दर्ज नहीं करना या

सी. ओ. सी. की बैठक में मतदान के दौरान संबंधित वित्तीय लेनदार द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार करने से सी. ओ. सी. का अंतिम सामूहिक निर्णय अपने आप में अमान्य नहीं हो जाएगा। मान लीजिए, अगर

समाधान योजना पर आपत्ति धारा 30 (2) और 61 (3) में निर्दिष्ट आधारों के उल्लंघन के कारण है।

विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से प्रासंगिक समय पर उठाया गया। क्योंकि, सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना की मंजूरी को उन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। तथापि, यदि प्रस्तावित समाधान योजना का विरोध विशुद्ध रूप से एक वाणिज्यिक या व्यावसायिक निर्णय है, तो यह गैर-न्यायसंगत होने के कारण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) या उस मामले के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष चुनौती देने के लिए खुला नहीं है। यदि ऐसा है, तो इस तरह के व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए किसी भी कारण को दर्ज न करने से कोई लाभ नहीं होगा। वर्तमान मामले में,

मान लीजिए, असहमत वित्तीय लेनदारों ने व्यापार/वाणिज्यिक के प्रयोग में समाधान योजना को खारिज कर दिया है निर्णय और आधारों के गैर-अनुपालन के कारण नहीं

धारा 30 (2) या धारा 61 (3) में विनिर्दिष्ट। परिणामस्वरूप, सेवा में लगाए गए संशोधित विनियमन का कोई लाभ नहीं होगा।

[पैरा 61] [908-ई-एच]

16.7 वर्तमान मामले में, सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 के संदर्भ में, उचित बातचीत के बाद सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है

वित्तीय लेनदारों के बीच जो सी. ओ. सी. के घटक हैं और वे अपने मतदान हिस्से के अनुसार मतों के रूप में प्रस्तावित समाधान योजना पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। सी. ओ. सी. की बैठक में, प्रस्तावित समाधान योजना को चर्चा के लिए रखा जाता है और सभी संबंधित और समाधान पेशेवरों की उपस्थिति में पूर्ण बातचीत के बाद, सी. ओ. सी. के घटक अंततः प्रस्तावित समाधान योजना को मंजूरी देने या न देने के अपने विकल्प (व्यवसाय/वाणिज्यिक निर्णय) का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे मामले में, कारणों की गैर-रिकॉर्डिंग स्वयं के. शशिधर बनाम को दूषित नहीं करेगी।

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस।

वित्तीय लेनदारों का सामूहिक निर्णय। विधायिका ने "वाणिज्यिक/व्यावसायिक निर्णय" को चुनौती देने की परिकल्पना नहीं की है। वित्तीय लेनदारों की सामूहिक रूप से या उस मामले के लिए, इस मामले में, उनकी व्यक्तिगत राय। [पैरा 62] [910-एफ-एच; 911-ए]

16.8 असहमत वित्तीय लेनदारों के लिए यह पर्याप्त है कि वे इसके अनुसार मतदान करके प्रस्तावित समाधान योजना को अस्वीकार कर दें।

व्यावसायिक निर्णय के आधार पर मतदान का हिस्सा। वास्तव में, यदि असहमति जताने वाले वित्तीय लेनदारों का विरोध धारा 30 (2) या 61 (3) के तहत न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में है, तो स्थिति कुछ अलग हो सकती है। लेकिन इन मामलों में ऐसा नहीं है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को अपने समक्ष लंबित संबंधित अपीलों में दायर आवेदनों का जवाब देने के लिए नहीं बुलाकर स्पष्ट त्रुटि की है। [पैरा 63] [911-बी-सी]

16.9 वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद संशोधित समाधान योजना पर विचार करना न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए खुला नहीं है।

270 दिन। तदनुसार, एन. सी. एल. ए. टी. में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।

इस तरह के आवेदन का मनोरंजन नहीं करने के लिए। [पैरा 64] [911-डी]

संशोधित प्रावधान का लाभ नहीं उठाया जा सका, क्योंकि यह केवल एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान आया था। यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार नहीं कर सकता है और दोनों मामलों में पक्षों को एन. सी. एल. टी. के समक्ष संशोधित प्रावधान के आलोक में कार्यवाही पर नए सिरे से विचार करने के लिए खारिज नहीं कर सकता है।

वित्तीय लेनदारों को 66 प्रतिशत। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान मामलों में लागू प्रावधानों के अनुसार निर्देश जारी किए जाएंगे। [पैरा 65] [911-एफ-एच]

17. एन. सी. एल. ए. टी. ने विवादित निर्णय में उचित निष्कर्ष निकाला है कि संबंधित निगम की समाधान योजना

ऋणदाताओं को वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के अपेक्षित प्रतिशत द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है; और 270 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किसी भी वैकल्पिक समाधान योजना के अभाव में, [2019] 3 एस. सी.

अपरिहार्य सीक्वल परिसमापन प्रक्रिया यू शुरू करना है

संहिता के 33 पर। [पैरा 66] [912-ए, बी]

तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (2011) 6 एस. सी. सी. 739 [2011] 4 एस. सी. आर. 838; पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर (पी) लिमिटेड v. असम एस. ई. बी और ए. एन. आर. (2012) 7 एससीसी 462: [2012] 6 एस. सी. आर. 905; सी. आई. टी. बनाम. वाटिका टाउनशिप (पी) लिमिटेड (2015) 1 एससीसी 1: [2014] 12 एस. सी. आर. 1037; विजयलक्ष्मी राइस मिल्स, न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य (1976) 3 एससीसी

37 [1976] 3 एस. सी. आर. 775-निर्भर

मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2004) 4 एस. सी. सी. 311: [2004] 3 एससीआर 982 -

प्रतिष्ठित गोट्टुमुक्कला वेंकट कृष्णराजू बनाम। भारत संघ

(2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 1386; भारत सरकार बनाम। इंडिया टोबैको एसोसिएशन (2005) 7 एससीसी 396: [2005] 2 पूरक। एस. सी. आर. 859; ज़िले सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2004) 8 एससीसी 1: [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 400; मिथलेश कुमारी और एक अन्य बनाम। प्रेम बिहारी खरे [1989] 2 एस. सी. सी. 95: [1989] 1 एस. सी. आर. 621; दहिबेन (रणचोदजी जीवनजी की विधवा) और अन्य। वी. वसंजी केवलभाई (मृत) और अन्य (1995) पूरक। 2 एससीसी 295; बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1921; भारतीय स्टेट बैंक बनाम। रामकृष्णन (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 963; रुस्तम एंड हॉर्नबी (आई) लिमिटेड बनाम। टी. बी. काडोम (1976) 3 एस. सी. सी. 71: [1976] 1 एस. सी. आर. 119; भरत सिंह बनाम नई दिल्ली तपेदिक केंद्र, नई दिल्ली का प्रबंधन (1986) 2 एस. सी. सी. 614: [1986] 2 एस. सी. आर. 169; पैडफील्ड और अन्य बनाम। कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य मंत्री (1968) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 924; धामपुर

शुगर मिल्स लिमिटेड v. उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (2007) 8 एस. सी. सी. 338 [2007] 10 एस. सी. आर. 245; टाटा सेल्युलर वी. भारत संघ (1996) 6 एससीसी 651: [1987] 2 एससीआर 841; संघ भारत और एक अन्य वी। साइनामाइड इंडिया लिमिटेड और

दूसरा (1987) 2 एस. सी. सी. 720: [1987] 2 एस. सी. आर. 841; श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड और अन्य v. संघ

भारत और अन्य (1990) 3 एस. सी. सी. 223:

[1990] 1 एस. सी. आर. के. शशिधर बनाम भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस।

909 ; यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता बनाम। अभिजीत टी कंपनी।

प्रा. लिमिटेड और अन्य (2000) 7 एस. सी. सी. 357: [2000] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 153; करण सिंह और अन्य बनाम। भगवान सिंह

(मृत) एलआरएस द्वारा। और अन्य (1996) 7 एस. सी. सी. 559: [1996]

1 एस. सी. आर. 924; आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम।

सतीश कुमार गुप्ता और अन्य (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन

1733 ; कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और

विकास निगम। लिमिटेड वी. कैवेलेट इंडिया लिमिटेड और

श्रीनिवास जूट ट्वाइन मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ और एक और (2006) 2 एससीसी 740: [2006] 2 एससीआर 235;

राजीव चौधरी बनाम। दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.) (2001) 5 एस. सी. सी.

34 : [2001] 3 एस. सी. आर. 508; हितेंद्र विष्णु ठाकुर और

अन्य वी। महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1994) 4

एस. सी. सी. 602 [1994] 1 पूरक। एस. सी. आर. 360; अभिनव

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आईसीआईसीआई बैंक और एक अन्य [2018] 1

एससीसी 407: [2017] 8 एस. सी. आर. 33-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

(2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 1386

पैरा

10

[2005] 2 पूरक। एससीआर 859

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[2004] 3 पूरक। एससीआर 400

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[1989] 1 एससीआर 621

पैरा

10

संदर्भित किया गया है

(1995) सप. 2 एससीसी 295

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

(2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 1921

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

(2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 963

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[1976] 1 एससीआर 119

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[1986] 2 एससीआर 169

पैरा

10

संदर्भित किया गया है

[2004] 3 एससीआर 982

प्रतिष्ठित

पैरा

11

(1968) 2 डब्ल्यूएलआर 924

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

[2007] 10 एससीआर 245

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

[1987] 2 एससीआर 841

पैरा

11

संदर्भित किया गया है

[1987] 2 एससीआर 841

पैरा

11

[201

9] 3 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1990] 1 एससीआर 909

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

[2000] 3 पूरक। एससीआर 153

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[1996] 1 एससीआर 924

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

(2018) एससीसी ऑनलाइन 1733

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[2005] 2 एससीआर 1183

पै

रा 14

संदर्भित किया गया है

[2006] 2 एससीआर 235

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

[2001] 3 एससीआर 508

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

[1994] 1 पूरक। एससीआर 360

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2011] 4 एससीआर 838

उस पर भरोसा करें

पै

रा 55

[2012] 6 एससीआर 905

उस पर भरोसा करें

पै

रा 55

[2014] 12 एससीआर 1037

उस पर भरोसा करें

पै

रा 55

[1976] 3 एससीआर 775

उस पर भरोसा करें

पै

रा 55

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 10673

2018 से।

राष्ट्रीय संविधान के 06.09.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.335 में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

के साथ

सिविल अपील सं। 10719 , 10971 2018 और 2019 का 1531।

सी. यू. सिंह, डॉ. ए. एम. सिंघवी, कॉलिन गोंजाल्विस, श्याम दीवान,

श्री एड. , जी. रामकृष्ण प्रसाद, सुयोधन बैरपानेनी, सुश्री फिल्जा मूनिस, मोहम्मद। वसीय खान, जॉन मैथ्यू, कार्तिक एस. डी., भरत जे. जोशी, शिखिल सूरी, शिव कुमार सूरी, कमल दीप दयाल, सुश्री शिल्पा सैनी, सुश्री विनीश्मा कौल, सुश्री साक्षी मागो, राम लाल रॉय, सुश्री गौरी रसगोत्रा, अनिमेष बिष्ट, करण खन्ना, सिद्धांत शर्मा (मेसर्स के लिए)। सिरिल अमरचंद मंगलदास), कुणाल टंडन, सुश्री प्रज्ञा बघेल, सुश्री नीति जैन, सुश्री ऋचा, सुश्री महिमा सिंह, रितेश कुमार, प्रणब कुमार मलिक, सुश्री सोमा मलिक, सेबत कुमार देवरिया,

सुश्री प्रभा स्वामी, सुश्री दिव्या स्वामी, सौमिक घोषाल, वी. के. साजिथ, टी. एन. दुर्गा प्रसाद, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

के. शशिधर बनाम भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
ए. एम. खानविलकर, जे.

1. 2018 के एस. एल. पी. (सी) No.29181 में दी गई छुट्टी।

2. सभी अपीलों को प्रतिवादियों की सहमति से नोटिस स्तर पर सुनवाई के लिए लिया गया था।

" एन. सी. एल. ए. टी.), नई दिल्ली, दिनांक 6 सितंबर, 2018, ने प्रावधानों के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में दायर अपीलों में प्रस्तुत किया कामिनेनी स्टील एंड पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संक्षेप में "आई एंड बी कोड")। लिमिटेड (संक्षेप में)

" के. एस. एंड पी. आई. पी. एल.), जिसका पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है और इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड (संक्षेप में "आई. आई. एल".) का पंजीकृत कार्यालय है।

पुणे, महाराष्ट्र में कार्यालय।

4. एन. सी. एल. ए. टी. ने आई. आई. एल. से संबंधित समाधान योजना की अस्वीकृति और आई एंड बी संहिता के भाग II के अध्याय III के तहत परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई पीठ (संक्षेप में "एन. सी. एल. टी. मुंबई") द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की। के. एस. और पी. आई. पी. एल. के संबंध में, एन. सी. एल. ए. टी. ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, हैदराबाद (संक्षेप में "एन. सी. एल. टी".) के निर्णय को उलट दिया।

हैदराबाद ") जिसने अपनी समाधान योजना को मंजूरी दी थी और इसके बजाय

आई एंड बी कोड की धारा 33 और 34 के संदर्भ में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. हैदराबाद को भेज दिया गया।

5. एन. सी. एल. ए. टी. ने कहा कि दोनों ही मामलों में समाधान योजना को वित्तीय क्षेत्र के कम से कम 75 प्रतिशत मतदान का समर्थन नहीं मिला।

लेनदारों की समिति (संक्षेप में "सी. ओ. सी".) का गठन करने वाले लेनदारों को अस्वीकार कर दिया गया और इस तरह संबंधित कॉर्पोरेट देनदार, अर्थात् के. एस. एंड पी. आई. पी. एल. और आई. आई. एल. की परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है।

6. संबंधित अपीलों में चुनौती के आधारों पर विचार करने के लिए, हम संबंधित निगमित देनदार से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों का विज्ञापन करना उचित समझते हैं।

7. के. एस. एंड पी. आई. पी. एल. को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था

20 अक्टूबर, 2008। इसके इस्पात प्रभाग ने 30 मार्च, 2013 को परिचालन शुरू किया। कंपनी वित्तीय वर्ष 2014-15 तक काम कर रही थी।

हालाँकि, यह कम कार्यशील पूंजी और वित्तीय संकट सहित कई अन्य कारकों के कारण इस अवधि से आगे जारी नहीं रह सका, जिससे भारी [2019] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिचालन संबंधी नुकसान और इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण निवल मूल्य का क्षरण। बैंकों के संघ द्वारा एक संयुक्त ऋणदाता मंच का गठन करके कंपनी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए। चूंकि वह प्रयास सफल नहीं हुआ, इसलिए कंपनी ने बीमार की धारा 15 (1) के तहत बी. आई. एफ. आर. में एक आवेदन दायर किया।

15 नवंबर, 2016 को औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985। अधिनियम के निरसन के बारे में 25 नवंबर, 2016 की अधिसूचना के कारण उक्त कार्यवाही समाप्त हो गई। आखिरकार, कंपनी ने दिवाला और दिवालियापन (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2016 के नियम 7 के साथ पठित सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 10 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें उक्त कंपनी से संबंधित कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) शुरू करने की मांग की गई। उस याचिका को 10 फरवरी, 2017 को एन. सी. एल. टी. हैदराबाद और एक अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा स्वीकार किया गया था।

(संक्षेप में "आई. आर. पी".) को सी. ओ. सी. के गठन के निर्देशों के साथ नियुक्त किया गया। सी. ओ. सी. का गठन किया गया था और पहली बैठक 8 मार्च, 2017 को आई. आर. पी. की नियुक्ति की पुष्टि करने और प्रमुख बैंक, अर्थात् भारतीय बैंक को अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं को सूचित करने के लिए अधिकृत करने के लिए आयोजित की गई थी कि उन्हें अपने मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सी. ओ. सी. की दूसरी बैठक 6 अप्रैल, 2017 को आयोजित की गई थी, जिसमें अनुमानित खर्चों और आवश्यक लागतों और कारखाने के रखरखाव की लागतों को दर्ज किया गया था और आई. आर. पी. और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमुख बैंकरों, इंडियन बैंक के साथ बैंक खाते के संचालन के बारे में पुष्टि की गई थी। 12 मई, 2017 को बुलाई गई सी. ओ. सी. की तीसरी बैठक में निगमित देनदार ने तीन विकल्प देते हुए समाधान योजना के लिए एक प्रस्तुति दी। उस बैठक में एस. बी. आई. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को स्थायी ऋण निर्धारित करने के लिए नियुक्त करने का संकल्प लिया गया था।

निगमित ऋणदाता ऋणदाताओं को ऋण की व्यवहार्यता का आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए

समाधान योजना। 27 जून, 2017 को आयोजित सी. ओ. सी. की चौथी बैठक में निगमित देनदार द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना की समीक्षा की गई और एस. बी. आई. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के मसौदे पर भी विचार किया गया। इस बैठक में चर्चा किए गए और हल किए गए अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए 180 दिनों की वैधानिक अवधि समाप्त होने वाली थी, इसलिए समय को और 90 दिनों तक बढ़ाने के लिए एन. सी. एल. टी. हैदराबाद के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. हैदराबाद ने 27 जुलाई, 2017 को 9 अगस्त, 2017 से 90 दिनों के लिए और समय बढ़ाया। सी. ओ. सी. की छठी बैठक 24 अगस्त, 2017 को आयोजित की गई थी, जब कॉर्पोरेट देनदार ने ए. आर. ई. ए. ग्रुप ऑफ कंपनीज, चंडीगढ़ से रु. 150 ऋणपत्रों के रूप में करोड़ रुपये, ऋणदाताओं से दृढ़ अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन। उक्त प्रस्ताव बैठक के दौरान वितरित किया गया था। जो इस प्रस्ताव के साथ समाप्त हुआ कि इसे के. शशिधर बनाम के साथ रखा जाए।

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

एस. बी. आई. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की अंतिम रिपोर्ट, जिसका अभी भी इंतजार था। सी. ओ. सी. की सातवीं बैठक 26 सितंबर, 2017 को हुई थी जिसमें विभिन्न विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया था लेकिन चर्चा बनी रही।

अनिर्णायक। 16 अक्टूबर, 2017 को आयोजित आठवीं सी. ओ. सी. बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि निगमित ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना में प्रस्ताव द्वारा निगरानी और पर्यवेक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

पेशेवर, यदि योजना को सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। द इंडियन

बैंक, जिसके पास मतदान की शक्ति का 22.33% था, ने प्रस्तावित समाधान योजना के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। जे. एम. एफ. ए. आर. सी. लिमिटेड, जिसके पास मतदान का 12.39% अधिकार है, ने 26 सितंबर, 2017 को आयोजित पिछली बैठक में समाधान योजना को पहले ही खारिज कर दिया था। हालाँकि, ये दोनों बैंक समाधान योजना पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हुए यदि स्थायी ऋण के एक हिस्से को बढ़ाया जाना था। निगमित देनदार को विचार के लिए सभी बैंकरों को ईमेल के माध्यम से एक नया वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, निगमित देनदार ने 18 अक्टूबर, 2017 को एक ईमेल भेजा, जिसमें पहले से प्रस्तुत समाधान योजना के विकल्प के रूप में एक और ओटीएस योजना प्रस्ताव था। निगमित देनदार ने एक संरचित पुनर्भुगतान अवधि के साथ Rs.525 करोड़ की एक ओटीएस योजना प्रस्ताव की पेशकश की। जवाब में, इंडियन बैंक ने 25 अक्टूबर, 2017 को भेजे गए एक ईमेल के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार से 600 करोड़ रुपये की ओ. टी. एस. योजना का प्रस्ताव दाखिल करने का आह्वान किया। बैंकरों के साथ बातचीत के बाद, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा एक जवाबी प्रस्ताव दिया गया था जो था

अंततः 27 अक्टूबर, 2017 को आयोजित 9 वीं सी. ओ. सी. बैठक में विचार किया गया। 26 अक्टूबर, 2017 को निगमित देनदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सी. ओ. सी. के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिनके पास केवल 55.73% मतदान हिस्सेदारी थी, जैसे कि इंडियन बैंक, जे. एम. फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इलाहाबाद बैंक और आंध्र बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने

15.15% के मतदान प्रतिशत ने प्रस्ताव प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 27 अक्टूबर, 2017 को अपने पत्र के माध्यम से कारणों का हवाला दिया। तीन अन्य बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, जिसके पास 29.12% मतदान हिस्सेदारी है, ने व्यक्त किया कि वे खुले रहे, अपनी-अपनी मंजूरी से सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं

प्राधिकरण। आखिरकार, 30 अक्टूबर, 2017 को, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने 1% मतदान हिस्सेदारी के साथ, संशोधित ओटीएस योजना के तहत प्रस्तावित समाधान योजना को अपनी "सैद्धांतिक मंजूरी" देते हुए एक ईमेल भेजा और कि उनकी अंतिम मंजूरी सह-ऋणदाताओं से इसी तरह की मंजूरी के अधीन होगी। उसी दिन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 6.36% वोटिंग शेयर के साथ सूचित किया कि वे संशोधित समाधान योजना पर विचार करने के लिए तैयार हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मतदान में हिस्सा 11.82% है, ने [2019] 3 एस. सी. आर. बताया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संशोधित समाधान योजना के प्रति इसकी अस्वीकृति। नतीजतन, 30 अक्टूबर, 2017 तक, प्रस्तावित समाधान योजना को स्पष्ट रूप से मंजूरी देने वाले सहमति देने वाले बैंकों का मतदान हिस्सा केवल 66.67% था और असहमत ऋणदाता बैंकों का मतदान हिस्सा 26.97% था। महाराष्ट्र बैंक, जिसके पास 6.36% वोटिंग शेयर था, ने मतदान को मंजूरी नहीं दी थी, अस्वीकार नहीं किया था या मतदान से दूर रहा था, लेकिन बताया था कि वे समाधान योजना पर विचार करने के लिए तैयार हैं। तथ्य यह है कि प्रस्तावित समाधान योजना को वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 75 प्रतिशत से कम की मंजूरी तब तक नहीं मिली जब तक कि समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) ने 3 नवंबर, 2017 को निर्णय प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी. हैदराबाद) के समक्ष एक हलफनामा दायर नहीं किया।

9 वीं सी. ओ. सी. बैठक का परिणाम प्रस्तुत करना। निगमित देनदार (के. एस. एंड पी. आई. पी. एल.) के प्रबंध निदेशक न्यायनिर्णायक के समक्ष उपस्थित हुए।

प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने 6 नवंबर, 2017 को और 17 नवंबर, 2017 को एक ज्ञापन भी दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्तुत किया गया कि मतदान में भाग नहीं लेने वाले वित्तीय लेनदार के लिए, मतों और बहुमत की गिनती उनके मत के बिना की जाए। उस स्थिति में, भाग लेने का विकल्प चुनने वाले और समाधान योजना को मंजूरी देने वाले वित्तीय लेनदारों का प्रतिशत 78.63% तक काम करेगा और इसलिए, यह माना जा सकता है कि समाधान योजना को सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया है। एन. सी. एल. टी. हैदराबाद ने 27 नवंबर, 2017 के फैसले के माध्यम से अंततः निगमित देनदार द्वारा दायर याचिका को मंजूरी दी और समाधान योजना/संशोधित ओ. टी. एस. योजना को मंजूरी दी, जैसा कि समाधान पेशेवर द्वारा 3 नवंबर, 2017 को हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, और आगे घोषणा की कि 10 फरवरी, 2017 को लगाई गई रोक आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी नहीं रही। एक और निर्देश जारी किया गया कि कॉर्पोरेट देनदार उन सभी कर्मचारियों को बहाल करेगा जो कंपनी के रोल पर थे।

उक्त निर्णय से व्यथित, तीन वित्तीय लेनदार जो सीओसी का हिस्सा थे, अर्थात् इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष धारा 61 के तहत अपील दायर की।

एन. सी. एल. टी. हैदराबाद के अधिकार पर सवाल उठाते हुए, समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि उसे वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 75 प्रतिशत की मंजूरी नहीं मिली। निगमित देनदार के प्रबंध निदेशक ने भी निगमित गारंटी के संबंध में एन. सी. एल. टी. हैदराबाद द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 61 के तहत एक स्वतंत्र अपील दायर की। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इन अपीलों पर एक अन्य निगमित देनदार, अर्थात् आई. आई. एल. से संबंधित अपीलों के साथ सुनवाई की गई और 6 सितंबर, 2018 के सामान्य विवादित निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रस्तावित समाधान योजना को मंजूरी के. शशिधर बनाम.

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का कम से कम 75 प्रतिशत अनिवार्य था और यह निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के लिए एक जटिल दृष्टिकोण अपनाकर सी. ओ. सी. के जनादेश की अवहेलना करने के लिए खुला नहीं था। इस निर्णय के विरुद्ध, निगमित देनदार के प्रबंध निदेशक, अर्थात्

(के. एस. एंड पी. आई. पी. एल.) ने इस न्यायालय में आई एंड बी संहिता की धारा 62 के तहत एक दीवानी अपील दायर की है, जो 2018 की दीवानी अपील है।

8. अपीलों का दूसरा समूह निगमित देनदार-आई. आई. एल. से संबंधित है, जो निगमित के प्रवर्तक द्वारा दायर 2018 की सिविल अपील संख्या 10719 है।

देनदार जिसके पास 21.82% शेयर हैं और वह कंपनी के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। 2018 की सिविल अपील No.10971 उसी निगमित देनदार के श्रमिक संघ द्वारा दायर की जाती है, अर्थात्,

अभिनव उद्योग कामगर संगठन। श्रमिक संघ ने 23 नवंबर, 2017/8 दिसंबर, 2017 को एन. सी. एल. टी. मुंबई द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने के लिए बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 24 सितंबर, 2018 के फैसले और आदेश के खिलाफ 2018 के एस. एल. पी. (सी) No.29181 से उत्पन्न एक और अपील दायर की है।

कोड। उच्च न्यायालय ने श्रमिक संघ द्वारा दायर रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके पास न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय है। दूसरे शब्दों में, विशेष अनुमति याचिका मुख्य रूप से कॉर्पोरेट देनदार (आई. आई. एल.) के संबंध में प्रस्तावित समाधान योजना की अस्वीकृति के निर्णय पर सवाल उठाती है।

9. जहां तक निगमित देनदार (आई. आई. एल.) का संबंध है, प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं। उक्त निगमित देनदार को नुकसान उठाना पड़ा था। नतीजतन, यह अपने ऋणदाता बैंकरों को कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव दिया था

(संक्षेप में "सी. डी. आर".)। कंपनी को सितंबर, 2013 में 19 बैंकिंग संस्थाओं द्वारा सी. डी. आर. के लिए भेजा गया था और इसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में एक संघ को आमंत्रित किया था। ऋणदाताओं के मंच ने पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी 24 जून, 2014 को कंपनी। आईसीआईसीआई बैंक ने दिसंबर 2016 में कॉर्पोरेट देनदार (आईआईएल) के खिलाफ आई एंड बी कोड के तहत दिवाला और दिवालियापन आवेदन दायर किया था। इसे एन. सी. एल. टी. मुंबई द्वारा 17 जनवरी, 2017 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण होने के नाते स्वीकार किया गया था। एक आई. आर. पी. नियुक्त किया गया और एक अधिस्थगन घोषित किया गया। उक्त निगमित देनदार का कहना है कि आवेदनों के लंबित होने के बावजूद, कंपनी ने सितंबर 2017 तक प्रासंगिक अवधि के दौरान Rs.125 करोड़ के परिचालन राजस्व के साथ मार्च 2017 तक Rs.337 करोड़ का कारोबार हासिल किया था।

कंपनी द्वारा भुगतान किया गया कुल अप्रत्यक्ष कर लगभग रु। 8. 27 इसी अवधि के दौरान करोड़। 17 जनवरी, 2017 के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के आदेश के परिणामस्वरूप, पहली सी. ओ. सी. बैठक 15 फरवरी, 2017 को आयोजित की गई थी, जिसमें आई. आर. पी. की नियुक्ति की पुष्टि की गई थी। आखिरकार, 19 जून, 2017 को आयोजित छठी सी. ओ. सी. बैठक में सर्वसम्मति से दिवाला समाधान अवधि को 14 अक्टूबर, 2017 तक बढ़ाने का संकल्प लिया गया। आई. आर. पी. ने तब 27 पक्षों (16 संभावित वित्तीय निवेशक और 11 संभावित रणनीतिक निवेशक) से संपर्क किया, जिनमें से 16 दलों (11 वित्तीय निवेशक और 6 रणनीतिक निवेशक) ने कंपनी में रुचि दिखाई। प्रस्तावित की जांच के बाद

समाधान आवेदकों, विषय समाधान योजना 3 सितंबर, 2017 को आई. आर. पी. को प्रस्तुत की गई थी, जिसे विचार के लिए लिया गया था

सी. ओ. सी. ने 4 अक्टूबर, 2017 को ई-वोटिंग द्वारा अपनी बैठक में कहा। 66.57% मतदान हिस्सेदारी रखने वाले वित्तीय लेनदारों ने प्रस्तावित को मंजूरी देने के पक्ष में मतदान किया समाधान योजना जबकि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों, जिनके पास 33.43% मतदान हिस्सा था, ने प्रस्तावित समाधान योजना के खिलाफ मतदान किया। नतीजतन, प्रस्तावित समाधान योजना को आवश्यक प्रतिशत वित्तीय लेनदारों के समर्थन के अभाव में अनुमोदित या अस्वीकार नहीं किया गया था, जिनका मतदान हिस्सा 75 प्रतिशत से कम नहीं था। इसके बाद आई. आर. पी. ने 12 अक्टूबर, 2017 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष आई. आई. एल. के खिलाफ परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया। इसके बाद एन. सी. एल. टी. मुंबई

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए, 23 नवंबर, 2017 को अदालत में सुनाए गए और 8 दिसंबर, 2017 को दिए गए आदेश द्वारा, कॉर्पोरेट देनदार (आई. आई. एल.) के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया। अपीलों के दूसरे समूह की प्रमुख अपील में अपीलार्थी, कॉर्पोरेट देनदार का पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होता है।

(आई. आई. एल.) ने एन. सी. एल. टी. मुंबई के समक्ष एक अंतरिम आवेदन दायर किया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को संकल्प योजना के खिलाफ मतदान करने के लिए शपथ कारणों/आधार पर या निर्णय लेने की प्रक्रिया का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए और एक घोषणा कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों ने परिसमापन के दुर्भावनापूर्ण इरादे से मतदान किया और इसलिए, उनके वोटों की अनदेखी की जानी चाहिए। कॉर्पोरेट देनदार (आई. आई. एल.) के श्रमिक संघ ने कंपनी के परिसमापन का विरोध करते हुए एक अंतरिम आवेदन दायर किया था। समाधान आवेदक ने एक संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत करने और उस पर एक नए सिरे से मतदान आमंत्रित करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन भी दायर किया था, हालांकि शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए पहले परिकल्पित समय के बाद। इसके अनुसार

अपीलों के दूसरे समूह में अपीलकर्ताओं, एन. सी. एल. टी. ने संबंधित आवेदनों पर विरोधी पक्षों की प्रतिक्रिया नहीं मांगी और इसके बजाय

आवेदनों और के. शशिधर बनाम को अस्वीकार करते हुए विवादित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े।

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

निगमित देनदार के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देना। निगमित ऋणी से संबंधित प्रमुख अपील में अपीलार्थी (आई. आई. एल.) ने एन. सी. एल. टी., मुंबई के फैसले के खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की। इस अपील की सुनवाई संबंधित अपीलों के साथ की गई थी

वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 75 प्रतिशत के मत द्वारा समाधान योजना की मंजूरी अनिवार्य थी और इसलिए अपील को खारिज कर दिया गया अपीलार्थी द्वारा अधिमानित। व्यथित, उक्त अपीलार्थी और कर्मचारी '

के. एस. और पी. आई. पी. एल. के संघ ने क्रमशः एन. सी. एल. ए. टी. और उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है।

10. कॉरपोरेट देनदार के. एस. एंड पी. आई. पी. एल. के मामले में अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सी. यू. सिंह ने दो प्रचार किए थे।

75 प्रतिशत से अधिक। उसमें, प्रस्ताव प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए मतों का प्रतिशत (55.73%) और प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए मतदान का हिस्सा केवल 15.15% था। केवल इन मतों को लेते हुए, अनुमोदन के लिए मतदान हिस्सेदारी का आनुपातिक प्रतिशत स्पष्ट रूप से 75 प्रतिशत से अधिक (यानी लगभग 78.63%) होगा। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि एन. सी. एल. टी. मुंबई को समाधान प्रस्ताव को मंजूरी देनी चाहिए थी। तर्क का दूसरा अंग यह है कि एन. सी. एल. ए. टी., जिसने 6 सितंबर, 2018 को अपीलों पर निर्णय लिया था, को 23 नवंबर, 2017 से लागू किए गए संशोधनों को ध्यान में रखना चाहिए था और उसके बाद 6 जून, 2018 से आई एंड बी संहिता के प्रावधानों में एक और संशोधन लागू किया जाना चाहिए था, जिसमें भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमों में संशोधन शामिल है, जो 4 जुलाई, 2018 से लागू किए गए थे। के लिए,

वही अपीलों के लंबित रहने के दौरान लागू हुआ। इसके अलावा, उक्त संशोधनों का उद्देश्य यह है कि सी. ओ. सी. को अपने दृष्टिकोण में वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और समाधान प्रस्ताव की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए और प्रस्ताव, [2019] 3 एस. सी. आर. के अनुमोदन या अस्वीकृति के लिए कारण निर्दिष्ट करना चाहिए।

जैसा कि मामला हो सकता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय लेनदारों के मतों के प्रतिशत की आवश्यकता मतदान हिस्से के 66 प्रतिशत तक कम हो गई, जिसे वर्तमान मामले में 27 अक्टूबर, 2017 को बुलाई गई बैठक में 55.73% द्वारा दी गई मंजूरी के कारण पूरा किया गया है और इसके बाद 10.94% मतदान शक्ति वाले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा 30 अक्टूबर, 2017 को ईमेल के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। वास्तव में, यह तर्क इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि 23 नवंबर, 2017 से और विशेष रूप से 6 जून, 2018 को लागू किए गए संहिता में संशोधनों का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा, जैसा कि उक्त संशोधनों के पीछे के विधायी इरादे से स्पष्ट है। उक्त संशोधन शुरुआत से और लंबित कार्यवाही पर भी लागू किए जाते हैं क्योंकि यह मूल प्रावधान को प्रतिस्थापित करने के लिए है जैसा कि संकल्प की तारीख पर लागू था।

दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 और आई. आर. पी. द्वारा इसके समक्ष शपथ पत्र दाखिल करना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, गोट्टुमुक्कला वेंकट कृष्णराजू बनाम संघ में व्याख्या पर भरोसा रखा गया है।

ओआरएस। बनाम वसंजी केवलभाई (मृत) और अन्य '। बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में भी रिलायंस को निर्णय पर रखा गया है। पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स, जिन्होंने 6 जून, 2018 से आई एंड बी कोड में उसी संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई धारा 238-ए की प्रयोज्यता पर विचार किया था। इस निर्णय में, अदालत ने कहा कि संशोधन के पीछे विधायी इरादा सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों और उनसे अपीलों पर निर्णय लेते समय सीमा अधिनियम को शुरू से ही एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. पर लागू करना था। भारतीय स्टेट बैंक बनाम रिलायंस में भी निर्णय लिया गया है। रामकृष्णन 'ने एक निगमित देनदार के लिए गारंटी के अनुबंध में जमानत से संबंधित सूचना और प्रसारण संहिता की धारा-14 (3) के प्रतिस्थापन के माध्यम से संशोधन पर विचार किया था। अदालत ने माना कि संशोधन पूर्वव्यापी था। रिलायंस को रुस्तम एंड हॉर्नबी (1) लिमिटेड बनाम रुस्तम एंड हॉर्नबी (1) लिमिटेड में भी निर्णय पर रखा गया है। टी. बी. काडोम 3 जिसमें इस अदालत ने पूर्वव्यापी दिया

1 (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1386-अनुच्छेद 13-16। 2 (2005) 7 एस. सी. सी. 396 अनुच्छेद 14-16,24,26 और 28। 3 (2004) 8 एस. सी. सी. 1 पैराग्राफ 14-16।

4 (1989) 2 एससीसी 95। पैराग्राफ 24 और पैराग्राफ 1,23 और 25 भी देखें। $ (1995) सप. 2 एससीसी 295। पैराग्राफ 13 और पैराग्राफ 12,14 और 15 भी देखें। (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1921 अनुच्छेद 45।

(2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 963। अनुच्छेद 34।

8 (1976) 3 एस. सी. सी 71. अनुच्छेद 6.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2-ए का निर्माण और भारत सिंह बनाम नई दिल्ली तपेदिक केंद्र का प्रबंधन,

एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा उसके समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान लागू किए गए संशोधित प्रावधानों के संदर्भ में ध्यान में रखा गया। यह भी तर्क दिया जाता है कि निर्णय प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.), समाधान योजना को मंजूरी या अस्वीकार करते समय, एक विवेकपूर्ण दिमाग का प्रयोग करने और उसके सामने विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और प्रस्ताव द्वारा उल्लिखित अनुकूल राय पर विचार करते हुए सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए जीवित रहने के लिए कर्तव्यबद्ध है। पेशेवर ने अपने हलफनामे में कहा कि कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करने की पूरी संभावना थी। यहां तक कि मेसर्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भी। एटलस फाइनेंशियल रिसर्च एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट के संबंध में आयोजित एक संपूर्ण तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के संबंध में

देनदार (के. एस. एंड पी. आई. पी. एल.) ने कहा कि कंपनी तकनीकी रूप से व्यवहार्य और आर्थिक रूप से व्यवहार्य थी। निगम में परिचालन के अचानक और एकतरफा रूप से बंद होने के कारण निगमित देनदार वित्तीय संकट का सामना कर रहा था।

कार्यशील पूंजी ऋण खाता और प्रस्तावित समाधान योजना ने सूचना एवं प्रसारण संहिता के प्रावधानों के तहत इसके अनुमोदन के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किया। इसके अलावा, असंतुष्ट वित्तीय लेनदार समाधान प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए कोई भी कारण देने में विफल रहे हैं, इसका पालन करना चाहिए कि उन्होंने सद्भावना से नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से ऐसा किया, जिससे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

11. श्री ए. एम. सिंघवी, कॉर्पोरेट देनदार (आई. आई. एल.) से संबंधित अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि

सी. ओ. सी., जनहित का संरक्षक होने के नाते, आई एंड बी संहिता की धारा 30 (4) के तहत अपनी शक्ति का उचित और निष्पक्ष रूप से प्रयोग करने के लिए एक वैधानिक कर्तव्य के तहत है। धारा 30 (4) सी. ओ. सी. पर एक समाधान योजना को अपनाने का दायित्व रखती है जो परिसमापन की तुलना में अधिक व्यवहार्य है। उनके अनुसार,

विशेष रूप से धारा 30 (4) में संशोधन लागू किए गए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23 नवंबर, 2017 केवल कानून के घोषणात्मक/स्पष्टीकरणात्मक हैं और परिणामस्वरूप, पूर्वव्यापी हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि समाधान योजना पर व्यक्त विचार के लिए कारण देना, चाहे वह अनुमोदन के लिए हो या अस्वीकृति के लिए, सी. ओ. सी. के उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता को पूरा करने का सार है। इस प्रकार दिए गए कारण, यह प्रदर्शित करेंगे कि क्या यह वित्तीय लेनदारों का एक वास्तविक या दुर्भावनापूर्ण कार्य है। इसे अब संशोधित विनियमन 39 (3) द्वारा स्पष्ट और दोहराया गया है जो 4 जुलाई, 2018 से लागू हुआ है। एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन होने के कारण, यह पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा और लंबित कार्यवाही पर भी लागू होगा। तब यह तर्क दिया जाता है कि यदि कोई कारण निर्दिष्ट या आगामी नहीं है, तो

न्यायालय संबंधित वित्तीय लेनदार द्वारा शक्ति के प्रयोग को निरस्त करने के लिए शक्तिहीन नहीं है यदि इससे अनुमान लगाना संभव था

अभिलेख से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग गलत तरीके से किया गया था। इस समर्पण को मजबूत करने के लिए मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य पर निर्भरता रखी गई थी, जिन्होंने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 में निष्पक्षता और तर्कसंगतता की आवश्यकता को पढ़ा था। अदालत ने घोषणा की कि कारण दिए जाने चाहिए और उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। निष्पक्षता और तर्कसंगतता के सिद्धांत के इस "पढ़ने" को अंततः के रूप में संहिताबद्ध किया गया था

उस अधिनियम की धारा 13 (3-ए)। धारा 30 (4) जैसे कठोर प्रावधानों के संबंध में ऐसी व्याख्या अक्षम्य थी, जिसके परिणामस्वरूप निगमित देनदार के परिसमापन का अपरिहार्य परिणाम हुआ। आई एंड बी संहिता के प्रावधानों को वित्तीय लेनदार केंद्रित नहीं बल्कि एक समावेशी दृष्टिकोण के रूप में माना जाना चाहिए जहां सभी हितधारकों के हित संतुलित हों और विशेष रूप से कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार और परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने की संभावना का पता लगाने के लिए। विद्वान वकील तर्क देते हैं कि वर्तमान मामले में, असहमत वित्तीय लेनदारों द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष एकमात्र याचिका यह थी कि उन्होंने एक वाणिज्यिक निर्णय लिया था और यह न्यायिक प्रक्रिया के लिए खुला नहीं था।

जाँच करें। विद्वान वकील तर्क देते हैं कि भले ही यह एक व्यावसायिक निर्णय हो, लेकिन इसे ठोस कारणों से समर्थित होने के लिए एक उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण की कसौटी को पूरा करना होगा। कारणों के अभाव में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को यह पता लगाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए कि क्या सी. ओ. सी. द्वारा शक्ति का प्रयोग उचित है और उद्देश्य के अनुरूप है।

वित्तीय लेनदार इसे अस्वीकार कर देते हैं, इस तरह की शक्ति का प्रयोग संहिता की नीति का विध्वंसक होगा, जिसमें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। जबकि, इस तरह के एक मामले का मतलब होगा 10 (2004) 4 एस. सी. सी. 311, पैरा 45।

के. शशिधर बनाम भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सी. ओ. सी. पर योजना को मंजूरी देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने का कर्तव्य है। वाणिज्यिक निर्णय के संबंध में असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के बचाव का मुकाबला करने के लिए, पैडफील्ड और अन्य बनाम कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य मंत्री "1 और धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम धानपुर शुगर मिल्स लिमिटेड पर निर्भरता रखी गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1 2. विद्वान वकील का तर्क है कि प्रस्तावित समाधान योजना में अनुमानित व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए सी. ओ. सी. द्वारा कर्तव्य का त्याग घातक होगा। यह सी. ओ. सी. द्वारा दिमाग का उपयोग न करने का मामला होगा, यदि प्रस्तावित समाधान योजना को अस्वीकार करने में दुर्भावनापूर्ण दृष्टिकोण नहीं है। न्यायिक समीक्षा की सीमाओं का परीक्षण, जैसा कि टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ में समझाया गया है, लागू किया जाना चाहिए।

सी. ओ. सी. द्वारा शक्ति के बेलगाम प्रयोग पर लगाम लगाना। न्यायाधिकरण निश्चित रूप से असहमत वित्तीय लेनदारों के दृष्टिकोण को खारिज कर सकता है यदि यह संतुष्ट हो कि इस तरह के निर्णय पर कोई भी उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एन. सी. एल. टी.) के लिए भी हस्तक्षेप करना संभव है यदि परिस्थितियों से पता चलता है कि वित्तीय लेनदारों को असहमत करने का निर्णय शक्ति के दुरुपयोग या तर्कहीन और अनुचित होने का परिणाम था। रिलायंस को भारत संघ और एक अन्य बनाम साइनामाइड इंडिया लिमिटेड और एक अन्य बनाम साइनामाइड इंडिया लिमिटेड और श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में भी निर्णय पर रखा गया है। जहां तक सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (4) में 23 नवंबर, 2017 से लागू किए गए संशोधन का संबंध है, यह तर्क दिया जाता है कि इसे केवल स्पष्टीकरणात्मक माना जाना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप, पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए। सी. ओ. सी. के घटकों को दिए गए विवेकाधिकार के अनुसार, सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (4) के तहत वित्तीय लेनदारों को न्यायपूर्ण तरीके से और कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावित योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुमोदन या अस्वीकार करने के वैधानिक दायित्व के निर्वहन के लिए और कुछ भी प्रासंगिक नहीं है प्रस्तावित समाधान योजना। 6 जून, 2018 से लागू सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 30 (4) में दूसरे संशोधन के संबंध में विद्वान वकील का तर्क है कि मतदान की सीमा को 75 प्रतिशत से घटाकर 66 प्रतिशत कर दिया गया है।

कि वह भी उस समय से संचालित होता है जब धारा को क़ानून की पुस्तक में लाया गया था। क्योंकि, विधायिका ने जानबूझकर सीमा की आवश्यकता को घटाकर 66 प्रतिशत कर दिया। यह समाधान प्रक्रियाओं में अधिक लचीलापन लाने और कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार के लिए अधिकतम प्रयास करने के लिए था।

1 1 (1968) 2 डब्ल्यूएलआर 924

1 2 (2007) 8 एस. सी. सी. 328 1 3 (1996) 6 एस. सी. सी. 651 अनुच्छेद-73 और 77। 14 (1987) 2 एस. सी. सी 720 अनुच्छेद 4 15 (1990) 3 एस. सी. सी. 223 पैराग्राफ-47-49,51-53,57-58 [2019] 3 एस. सी. आर.

व्यापक सार्वजनिक हित में। संसद का इरादा उस शरारत को दूर करना था जो उच्च सीमा के कारण हो रही थी; और इसे कम करके,

परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना और परिणामस्वरूप परिसमापन को हतोत्साहित करना। कार्यशील कंपनी को बंद करने में जिस पर कई हितधारक हैं

निर्भर, जैसे कि उसके कर्मचारी। अपीलार्थी के निगमित देनदार के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होने पर आपत्ति के संबंध में, यह तर्क दिया जाता है कि यह पहली बार उठाया गया है।

आई एंड बी संहिता की धारा 29 ए के तहत यह तर्क दिया गया है कि यह आपत्ति भी पहली बार ली जा रही थी। उल्लेखनीय है कि सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 29 ए केवल 23 नवंबर, 2017 से लागू हुई थी और यह तब मौजूद नहीं थी जब सीओसी द्वारा समाधान योजना पर विचार किया गया था। इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा पसंद की गई अपील का दायरा इस पर विचार करना था - असहमत वित्तीय लेनदारों द्वारा समाधान योजना की अनुचित अस्वीकृति में हस्तक्षेप करने और अपीलार्थी की एक स्वतंत्र योजना का प्रस्ताव नहीं करने के लिए प्राधिकरण। इस प्रकार समझा जाता है कि सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 29 ए का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा और किसी भी मामले में, यदि प्रस्तावित

समाधान योजना को आगे बढ़ाया जाना है, अपीलार्थी का समाधान आवेदक के साथ कोई कारण संबंध नहीं है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपील की अनुमति दी जाए और प्रस्तावित समाधान योजना पर नए सिरे से पुनर्विचार करने के लिए मामले को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) की फाइल में बहाल किया जाए।

12. कॉर्पोरेट देनदार (आई. आई. एल.) से संबंधित श्रमिक संघ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि योजना की अस्वीकृति का कॉर्पोरेट देनदार द्वारा लगाए गए श्रमिकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। उनके अनुसार, समाधान योजना यह दर्शाती है कि कंपनी एक व्यवहार्य कंपनी है और कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए और इसे अल्पांश वित्तीय लेनदारों की सनक और कल्पनाओं के कारण या उस मामले में, उनके वाणिज्यिक ज्ञान की आड़ में परिसमापन में नहीं डाला जाना चाहिए। रिलायंस को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता बनाम अभिजीत टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में रखा गया है। लिमिटेड और अन्य 1 6

1 6 (2000) 7 एस. सी. सी. 357 पैरा 20।

और करण सिंह और अन्य बनाम भगवान सिंह (मृत) एलआरएस। और अन्य "और इसके अतिरिक्त, 2018 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.344 में एक अन्य कॉर्पोरेट देनदार (आलोक कर्मचारी लाभ और कल्याण न्यास) के मामले में एनसीएलएटी के निर्णय पर 29 नवंबर, 2018 को निर्णय लिया गया। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण खंड 2 में दिए गए चार्ट की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया था, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि अगर यह न्यायालय मामले को पुनर्विचार के लिए भेजता है तो शायद ही कोई प्रभाव पड़ेगा।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एन. सी. एल. टी.) द्वारा संशोधित प्रावधानों के आधार पर और विशेष रूप से क्योंकि अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है

यह इंगित करता है कि निगमित देनदार (आई. आई. एल.) एक व्यवहार्य कंपनी है और इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है न कि परिसमापन की।

13. दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान और सुश्री प्रज्ञा बघेल ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया और समर्थन किया

एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आई एंड बी संहिता की धारा 30 (4) में निर्दिष्ट आवश्यकता अनिवार्य है। वे प्रस्तुत करते हैं कि आई एंड बी कोड को पहले के वितरण के अनुभव के बाद लागू किया गया है। संहिता में उल्लिखित प्रत्येक चरण में सभी संबंधितों द्वारा देखी जाने वाली समय-सीमा के संबंध में नई व्यवस्था को अपनाने में प्रतिमान परिवर्तन हुआ है। चाहे वह समाधान प्रक्रिया हो या परिसमापन प्रक्रिया। दोनों इन प्रक्रियाओं को तेजी से और समयबद्ध तरीके से निपटाया जाना है। कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदान की गई प्रारंभिक समय सीमा है

180 याचिका स्वीकार किए जाने की तारीख से कुछ दिन और 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। समाधान प्रक्रिया के लिए बाहरी सीमा 270 दिनों के रूप में निर्दिष्ट की गई है और यदि समाधान योजना को वित्तीय लेनदारों (75 प्रतिशत से कम नहीं) के अपेक्षित मतों के साथ सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो परिसमापन का आदेश देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह निर्दिष्ट समय के भीतर समाधान योजना को मंजूरी देने में विफलता का अपरिहार्य परिणाम है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। इसके अलावा, अस्वीकृत समाधान योजना की प्रस्तुति पर, यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के लिए प्रस्तावित समाधान योजना को मंजूरी देने या न देने के लिए वित्तीय लेनदारों द्वारा लिए गए कारण या वाणिज्यिक निर्णय की निष्पक्षता की जांच करने के लिए खुला नहीं है। वित्तीय के वाणिज्यिक निर्णय या विवेक के संबंध में पूर्ण स्वायत्तता है।

लेनदार। इस पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है। जबकि, न्यायिक समीक्षा अधिनियम में ही निर्दिष्ट आधारों तक सीमित है, जो एक स्व-निहित संहिता है। विधायी इरादे से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि संसद इस तथ्य के बारे में सचेत थी कि कुछ व्यावसायिक संस्थाएं विफल हो जाएंगी और इसके भीतर पुनर्जीवित नहीं की जा सकती हैं 1 7 (1996) 7 एस. सी. सी. 559 अनुच्छेद 7।

निर्दिष्ट समय लेकिन यह बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण वित्तीय लेनदारों की गंभीर चिंता को दूर करने की आवश्यकता को दबा नहीं सकता है।

निगमित देनदार की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के कारण। प्रवर्तकों को ऐसे निगमित देनदार का प्रबंधन जारी रखने का कोई दैवीय अधिकार नहीं है। आई एंड बी संहिता ऐसे निगमित ऋणदाताओं के प्रबंधन में ब्याज की आवश्यकता को अधिस्थगन अवधि के दौरान पेशेवरों को सौंपने की भविष्यवाणी करती है ताकि निर्दिष्ट समय के भीतर कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जा सके। हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था

दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट दिनांक 4 नवंबर, 2015

और दिवाला विधि समिति की 26 मार्च, 2018 की रिपोर्ट, अधिनियम के अधिनियमन के पीछे विधायी इरादे के बारे में तर्क को पुष्ट करने के लिए

सूचना और प्रसारण संहिता और संबंधित संशोधन। रिलायंस को इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) पर रखा गया है, जिसने आई एंड बी कोड के पीछे के विधायी इरादे को स्वीकार किया था।

14. कॉरपोरेट देनदार (आई. आई. एल.) के मामले में आई. सी. आई. सी. आई. बैंक की ओर से पेश श्री दीवान ने कहा कि केवल एक समाधान योजना थी। न ही

क्या समाधान आवेदक ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के निर्णय को चुनौती दी है और न ही उसे अपील में पक्षकार बनाया गया है। निगमित देनदार (आई. आई. एल.) द्वारा देय बकाया राशि लगभग है। Rs.1435 करोड़। वह प्रस्तुत करता है कि समाधान योजना एक बोली या निविदा दस्तावेज़ के विपरीत एक जटिल दस्तावेज़ है। असहमत वित्तीय लेनदारों से जुड़े पेशेवरों ने इसका विश्लेषण किया है और उनकी राय थी कि यह एक व्यवहार्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य नहीं है-बल्कि यह एक सट्टा प्रस्ताव है। असहमत वित्तीय लेनदारों ने अभ्यास किया

सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनका व्यावसायिक ज्ञान। यह असहमत वित्तीय लेनदारों के उस निर्णय की जांच करने के लिए खुला नहीं है। न तो आई. आर. पी. और न ही न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को अपील की अदालत के रूप में उसी पर बैठने की अनुमति दी जाए। असहमत वित्तीय लेनदारों का निर्णय विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है जिनमें शामिल हैं -

निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार अनुमानित योजना को वास्तविकता में बदलने के लिए समाधान आवेदक की क्षमता और विचाराधीन कंपनी के प्रस्ताव और पुनरुद्धार की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के बारे में विश्वास। उन्होंने हमें संशोधित प्रावधानों सहित प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में बताया और तर्क दिया कि संशोधन का अंतर्निहित उद्देश्य और इरादा उसे संभावित प्रभाव देना था। उन्होंने कहा कि

निगमित देनदार (आई. आई. एल.) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा दायर अपील भी विचारणीय नहीं थी क्योंकि उक्त

अपीलार्थी का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी समाधान आवेदक के साथ मिलकर काम कर रहा था और जिसके लिए अपीलार्थी को के. शशिधर बनाम.

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बकाया राशि का पहले 100% जमा करने के लिए कहा जाए। हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है। आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य में हाल के निर्णय के बारे में। वे प्रस्तुत करते हैं कि न्यायालय ने सूचना और प्रसारण संहिता में अधिदेश के संदर्भ में सभी संबंधितों द्वारा समय-सीमा का पालन करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है-चाहे वह समाधान प्रक्रिया के चरण में हो या परिसमापन प्रक्रिया के चरण में। संशोधनों को अन्यथा नहीं समझा जा सकता है ताकि विधायी इरादे को अनुचित बनाया जा सके। वह प्रस्तुत करता है कि, कानून में, संशोधित प्रावधानों के संभावित अनुप्रयोग का अनुमान है। संशोधित के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग का आदेश देने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

प्रावधान। संशोधित प्रावधान स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी करते हैं कि यह निर्धारित तिथि से लागू होगा। में

वर्तमान मामले में, समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा 14 नवंबर, 2017 को समाप्त हो गई थी और इस कारण से मतदान के हिस्से को घटाकर 66 प्रतिशत करने के संशोधित प्रावधान का कोई फायदा नहीं होगा। जहां तक विनियमन 39 में संशोधन का संबंध है, जो 4 जुलाई, 2018 से लागू हुआ है और जाहिर है कि इसका संभावित अनुप्रयोग होगा। जो भी हो,

असहमत वित्तीय लेनदारों द्वारा कारण का खुलासा न करने से, प्रस्तावित संकल्प योजना को अस्वीकार करने के लिए मतदान करने पर कार्रवाई के निष्कर्षित कारण को दूषित नहीं किया जाएगा। संशोधित विनियमन के आधार पर उस स्थिति को अस्थिर नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम के मामले पर भरोसा रखा है। लिमिटेड बनाम। कैवैलेट इंडिया लिमिटेड और अन्य "। . जहां तक बात है

निगमित देनदार (आई. आई. एल.) के श्रमिक संघ द्वारा व्यक्त की गई चिंता, यह प्रस्तुत की जाती है कि श्रमिकों को उच्चतम प्राथमिकता मिलेगी आई एंड बी संहिता की धारा 53। इसके अलावा, यह तथ्य कि कंपनी के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू की गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी को एक चालू संस्था के रूप में बेचने की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार, निगमित देनदार द्वारा नियुक्त श्रमिकों के हितों का वैधानिक आदेश के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। तर्क का योग और सार यह है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

(एन. सी. एल. टी.) को अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदनों को अस्वीकार करने में उचित ठहराया गया था और सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 33 के तहत कंपनी के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू करने के अपरिहार्य निर्देश के साथ प्रस्तावित समाधान योजना की अस्वीकृति के तथ्य को दर्ज किया गया था। इस मामले को देखते हुए, एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित निर्णय में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

15. कॉरपोरेट देनदार (के. एस. एंड पी. आई. पी. एल.) के मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से पेश सुश्री प्रज्ञा बघेल, जिनका मतदान हिस्सा 15.15% है और असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों में से एक होने के नाते, प्रस्तुत करेंगी कि 1 8 (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन 1733, पैराग्राफ 64,78,83 और 88 1,9 19 (2005) 4 एस. सी. सी. 456 पैराग्राफ 13 और 19 [2019] 3 एस. सी. आर.

अपीलार्थी को अपील करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष उनकी अपील एन. सी. एल. टी. द्वारा उल्लिखित व्यक्तिगत गारंटी के संबंध में अवलोकन तक सीमित थी। तथ्य यह है कि मतदान के लिए रखी गई संकल्प योजना को वित्तीय लेनदारों के आवश्यक प्रतिशत का समर्थन नहीं मिला। मतदान हिस्सेदारी का 75 प्रतिशत से कम नहीं। आई एंड बी संहिता में दिए गए प्रावधान उन वित्तीय लेनदारों के वोटों को छोड़कर मतदान हिस्सेदारी प्रतिशत की गणना की अनुमति नहीं देते हैं जिनके पास था।

परहेज किया। जबकि, इसके विपरीत स्पष्ट प्रावधान है, जिससे यह

एस. एल. श्रीनिवास जूट ट्वाइन मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम एस. भारत संघ और अन्य 20 और राजीव चौधरी बनाम राज्य (एन. सी. टी.) दिल्ली 2 1. जहां तक पूर्वव्यापी आवेदन के तर्क का संबंध है

और अन्य 2 2। अपीलार्थी और उत्तरदाताओं ने 2018 की सी. ए. संख्या 10673 में 1-3 और 5-8 और अपीलार्थी और उत्तरदाताओं ने 2018 की सी. ए. संख्या 10719 में उपरोक्त बिंदुओं को विस्तार से बताते हुए अपने वकीलों के माध्यम से लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की हैं। 16. सुश्री प्रभा स्वामी, समाधान आवेदक (सुयश आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड) की ओर से पेश हो रही हैं। लिमिटेड) ने प्रस्तुत किया है कि समाधान योजना को कुछ शर्तों पर मंजूरी दी गई थी और समाधान आवेदक उन शर्तों का पालन करने का आश्वासन देता है। इसके अलावा, दी गई स्वतंत्रता के अनुसार

समाधान आवेदक, उस आश्वासन को रिकॉर्ड पर रखने के लिए अब उचित हलफनामा दायर किया गया है। 17. कॉर्पोरेट देनदार (आई. आई. एल.) के मामले में आधिकारिक परिसमापक की ओर से पेश वकील सुश्री महिमा सिंह ने इस मामले में छूट की मांग की थी।

बाद के कुछ घटनाक्रमों को दर्ज करें जिनका संबंधित अपीलों पर प्रभाव पड़ सकता है। 23 नवंबर, 2018 का वह हलफनामा भी दाखिल किया गया है और इसे रिकॉर्ड में लेने की अनुमति है।

20 (2006) 2 एस. सी. सी. 740, अनुच्छेद 13-19। 2 1 (2001) 5 एस. सी. सी. 34 पैराग्राफ 3 और 4। 22 (1994) 4 एस. सी. सी. 602 अनुच्छेद 26।

18. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुख्य प्रश्न सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना की मंजूरी की अगली कड़ी के बारे में है।

संबंधित निगमित देनदार, अर्थात् के. एस. एंड पी. आई. पी. एल. और आई. आई. एल., वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के पचहत्तर प्रतिशत से कम के मत से;

और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता के बारे में कि सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (4) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का प्रतिशत अनिवार्य है। इसके अलावा, क्या यह निर्णय करने वाले प्राधिकरण/अपीलीय प्राधिकरण के लिए किसी अन्य कारक (इसके अलावा) पर विचार करने के लिए खुला है? सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (2) या 61 (3) में विनिर्दिष्ट) जो समाधान आवेदक और हितधारकों के अनुसार हो।

समाधान योजना का समर्थन करना, प्रासंगिक हो सकता है?

19. इस न्यायालय ने अपने हाल के फैसलों में विधायी इतिहास के बारे में विस्तार से बताया है और सूचना एवं प्रसारण संहिता के प्रावधानों की व्यापक रूपरेखा तैयार की है। नवीनतम मामला आर्सेलरमित्तल (ऊपर) का है जिसके बाद बी. के. एजुकेशनल (ऊपर) और इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज का मामला है।

लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और एक अन्य। 23 हालाँकि, वर्तमान मामले में, हमारा ध्यान अनुमोदन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था पर होना चाहिए

या सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना की अस्वीकृति। सी. ओ. सी. को बुलाया जाता है कि

समाधान पेशेवर द्वारा सत्यापित और सत्यापित किए जाने के बाद आई एंड बी कोड की धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना पर विचार करें। धारा 30 (2) में निर्दिष्ट सभी वैधानिक आवश्यकताओं के साथ।

20. सी. ओ. सी. का गठन आई एंड बी कोड की धारा 21 के अनुसार किया जाता है, जिसमें वित्तीय लेनदार शामिल होते हैं। 'वित्तीय लेनदार' शब्द है

जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निगमित देनदारियों से संबंधित दिवाला समाधान और परिसमापन की प्रक्रिया को आई एंड बी संहिता के भाग II में संहिताबद्ध किया गया है, जिसमें सात शामिल हैं। अध्याय। अध्याय I भविष्यवाणी करता है कि भाग II निगमित देनदार की दिवालियापन और परिसमापन से संबंधित मामलों में लागू होगा जहां चूक की न्यूनतम राशि रु। 1,00,000 / - . अध्याय I में धारा 5 एक शब्दकोश खंड है जो संहिता के भाग II के लिए विशिष्ट है। अध्याय II निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सरगम से संबंधित है। हाथ में मुद्दे से निपटने के लिए, में निहित प्रावधान

दूसरा अध्याय महत्वपूर्ण होगा। प्रावधानों की योजना से, यह स्पष्ट है कि संहिता के भाग II में प्रावधान स्व-निहित कोड हैं, जो सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना पर विचार करने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं।

21. वह चरण जिस पर संबंधित से संबंधित विवाद

निगमित देनदार (के. एस. एंड पी. आई. पी. एल. और आई. आई. एल.) निर्णय पर पहुंच गए थे।

प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (4) के लिए उत्तरदायी है, जो अक्टूबर 2017 में प्रासंगिक समय पर इस प्रकार हैः

" 30 (4) -लेनदारों की समिति वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत के वोट से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है।

यदि सी. ओ. सी. ने समाधान योजना को अपेक्षित प्रतिशत से मंजूरी दी थी

मतदान के हिस्से का, फिर सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (6) के अनुसार, समाधान पेशेवर के लिए यह अनिवार्य है कि वह इसे निर्णय लेने वाले को प्रस्तुत करे।

प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) इस तरह के प्रस्ताव की प्राप्ति पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को खुद को संतुष्ट करना आवश्यक है कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है। न अधिक और न ही कम। यह स्पष्ट रूप से सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 31 में लिखा गया है, जो इस प्रकार है (अक्टूबर 2017 के अनुसार):

" 31. समाधान योजना की स्वीकृति। - (1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो वह आदेश द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देगा जो बाध्यकारी होगी।

निगमित देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटरों और समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारकों पर।
(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि समाधान योजना उप में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है।

धारा (1), यह एक आदेश द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है।

(3) उप-धारा (1) के तहत अनुमोदन के आदेश के बाद,

(क) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित अधिस्थगन आदेश

धारा 14 के तहत प्रभाव समाप्त हो जाएगा; और

(ख) समाधान पेशेवर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन और समाधान योजना से संबंधित सभी रिकॉर्ड बोर्ड को उसके डेटाबेस पर दर्ज करने के लिए भेजेगा।

हम प्रासंगिक समय पर लागू होने वाली धारा 30 (2) का भी उपयोग कर सकते हैं। वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

. शशिधर बनाम। भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 30. समाधान योजना प्रस्तुत करना।

(1)

XXX

XXX

XXX

(2)

समाधान पेशेवर प्रत्येक संकल्प की जांच करेगा।

प्रत्येक समाधान योजना की पुष्टि करने के लिए उसे प्राप्त योजना

(क) दिवाला समाधान के भुगतान का प्रावधान करता है

प्राथमिकता में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्रक्रिया लागत

निगमित देनदार के अन्य ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए;

(ख) परिचालन ऋणों के पुनर्भुगतान का प्रावधान करता है। लेनदार इस तरह से जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाए

जो भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी

परिसमापन की स्थिति में परिचालन लेनदार

धारा 53 के तहत निगमित देनदार; (ग) के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रावधान करता है

समाधान योजना की मंजूरी के बाद निगमित देनदार; (घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण;

(ई) कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है

(च) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं। बोर्ड द्वारा।

XXX "

XXX

XXX

22. इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) में, न्यायालय ने उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, जिसमें संहिता लागू की गई थी,

कि संहिता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था -

भारत में एक एकल, एकीकृत छत्र के तहत दिवाला कानून

दिवाला प्रक्रिया में तेजी लाना। प्रक्रिया के बारे में

समाधान योजना प्रस्तुत करते हुए और, विशेष रूप से, संख्या 30 के संदर्भ में, न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 33. धारा 30 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो लगाने में रुचि रखता है

निगमित निकाय अपने पैरों पर खड़ा होकर एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है

समाधान पेशेवर के लिए, जो के आधार पर तैयार किया जाता है एक सूचना ज्ञापन। इस योजना में भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत, मामलों का प्रबंधन योजना की मंजूरी के बाद निगमित देनदार का, और

योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण। केवल तभी जब

ऐसी योजना को [2019] 3 एस. सी. आर. के 75 प्रतिशत से कम के मत द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

वित्तीय लेनदारों का मतदान हिस्सा और

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी संतुष्ट है कि योजना, के रूप में

अनुमोदित, उल्लिखित वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है

धारा 30 में, कि यह अंततः ऐसी योजना को मंजूरी देता है, जो

तब निगमित देनदार के साथ-साथ इसके लिए भी बाध्यकारी है

कर्मचारी, सदस्य, लेनदार, गारंटर और अन्य

हितधारक। महत्वपूर्ण रूप से, और यह एक प्रमुख प्रस्थान है

इस विषय पर पिछला कानून, जिस क्षण निर्णय लिया जाता है

प्राधिकरण ने समाधान योजना, अधिस्थगन आदेश को मंजूरी दी

धारा 14 के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित किया जाना समाप्त हो जाएगा

प्रभाव पड़ता है। संहिता की योजना, इसलिए, एक प्रयास करना है,

पूर्ववर्ती प्रबंधन को अपनी शक्तियों से वंचित करके और निहित करके

एक पेशेवर एजेंसी में, के व्यवसाय को जारी रखने के लिए

एक समाधान योजना तैयार होने तक एक चालू संस्था के रूप में निगमित निकाय

ऊपर, किस स्थिति में प्रबंधन को इसके तहत सौंपा जाता है

योजना बनाएँ ताकि निगमित निकाय अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम हो और

अपने पैरों पर वापस आ जाओ। यह सब एक अवधि के भीतर किया जाना है 6 अधिकतम 90 दिनों के विस्तार के साथ महीने या

अन्यथा चॉपर नीचे आ जाता है और परिसमापन प्रक्रिया होती है शुरू होता है "।

(जोर दिया गया)

हालाँकि, वर्तमान मामलों में विचार किए जा रहे विशिष्ट मुद्दे, अर्थात् न्यायिक व्यवस्था के दायरे से निपटने के लिए हमारा आह्वान नहीं किया गया था।

व्यक्त राय के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा

समाधान योजना के अनुमोदन के प्रस्ताव पर सी. ओ. सी.।

23. आर्सेलरमित्तल (ऊपर) में, न्यायालय ने समय-सीमा का उल्लेख किया

संहिता और पैराग्राफ 73 में इसके परिणाम - , जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

" 73. दिवाला समाधान को पूरा करने के लिए समय सीमा

प्रक्रिया धारा 12 में निर्धारित की गई है। 180 दिनों की अवधि

लेनदारों की समिति, 66 प्रतिशत के वोट से, विस्तार करने के लिए मतदान करती है उक्त अवधि, और केवल तभी जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट हो

कि ऐसी प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है। द.

प्राधिकरण तब आदेश द्वारा ऐसी प्रक्रिया की अवधि बढ़ा सकता है।

90 दिनों की अधिकतम अवधि तक (धारा 12 (2) और 12 (3) देखें)।

धारा 12 (3) का परंतुक भी महत्वपूर्ण है।

शशिधर बनाम। भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह बताता है कि धारा 12 के तहत अवधि का कोई विस्तार नहीं किया जा सकता है

एक से अधिक बार दिया जाए। इसे तीसरे के साथ पढ़ना होगा।

धारा 30 (4) का परंतुक, जिसमें कहा गया है कि अधिकतम अवधि

दूसरे परंतुक में उल्लिखित 30 दिनों का समय इस प्रकार स्वीकार्य है -

केवल उपरोक्त अवधि के विस्तार का अपवाद नहीं है

एक से अधिक बार दिया गया।

74. ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका परिणाम यह है कि

बशर्ते कि उक्त अवधि समाप्त होने की स्थिति में

समाधान योजना की प्राप्ति के बिना या एक की अस्वीकृति के बाद धारा 31 के तहत समाधान योजना। इसका परिणाम यह है कि

धारा 33 द्वारा उपबंधित, जो यह स्पष्ट करती है कि जब

इन दो आकस्मिकताओं में से कोई भी होता है, कॉर्पोरेट

ऋणी को निर्धारित तरीके से परिसमापन किया जाना आवश्यक है।

अध्याय III में। धारा 12, के प्रकाश में समझा गया

कोड द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई वस्तु, और प्रकाश में

धारा 33 द्वारा उपबंधित परिणाम के बारे में, इसलिए,

यह स्पष्ट करता है कि पहले उल्लिखित अवधियाँ हैं

अनिवार्य है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है।

(जोर दिया गया)

लाभ, ए. एफ. 76 में धारा 30,33 और 61 के उद्देश्य से निपटने के दौरान, यह इस प्रकार देखा जाता हैः

" 76. .....

.....

(viii) धारा 30 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें एक संकल्प है।

आवेदक संकल्प के लिए एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है

पेशेवर, जो तब उक्त योजना की जांच करने के लिए है यह देखने के लिए कि यह

धारा 30 (2) की आवश्यकताओं के अनुरूप है। एक बार यह योजना

उप-धारा (4) के तहत कम से कम 66 प्रतिशत के मत से। क्या है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि लेनदारों की समिति ऐसा नहीं करेगी

एक समाधान योजना को मंजूरी दें जहाँ समाधान आवेदक है

धारा 29 ए के तहत अयोग्य, और संकल्प की आवश्यकता हो सकती है

एक नई समाधान योजना को आमंत्रित करने के लिए पेशेवर जहां कोई अन्य नहीं है

समाधान योजना उपलब्ध है। एक बार समिति द्वारा अनुमोदित

लेनदारों, समाधान योजना को न्यायनिर्णायक को प्रस्तुत किया जाना है

संहिता की धारा 31 के तहत प्राधिकरण। यह इस स्तर पर है कि [2019] 3 एस. सी. आर.

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा न्यायिक दिमाग को लागू किया जाता है

समाधान योजना इस प्रकार प्रस्तुत की गई, जिसके बाद

संतुष्ट है कि योजना पूरी होती है (या पूरी नहीं होती है) धारा 30 में उल्लिखित आवश्यकताएं, या तो अनुमोदित हो सकती हैं

या ऐसी योजना को अस्वीकार कर दें।

(ix) ऐसी योजना को मंजूरी देने वाले आदेश की अपील केवल

धारा 61 (3) में निर्धारित सीमित आधारों पर।

हालाँकि, एक प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाले आदेश से एक अपील

योजना भी धारा 61 के तहत होगी।

(x) जैसा कि यहाँ पहले कहा गया है, परिसमापन धारा 33 के तहत प्रक्रिया शुरू की जाती है यदि, (1) या तो नहीं

समाधान योजना निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की जाती है

धारा 12, या एक समाधान योजना को खारिज कर दिया गया है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण; (2) जहाँ संकल्प

पेशेवर, समाधान योजना की पुष्टि से पहले,

निर्णय लेने वाले प्राधिकरण को सूचित करता है

निगमित देनदार को समाप्त करने के लिए लेनदारों की समिति;

या (3) जहां समाधान योजना द्वारा अनुमोदित

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का संबंधित द्वारा उल्लंघन किया जाता है निगमित देनदार। निगम के अलावा कोई भी व्यक्ति

ऋणी जिसके हित इस तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं उल्लंघन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर लागू हो सकता है, जो

फिर इस तरह के आवेदन पर परिसमापन आदेश पारित कर सकते हैं।

(जोर दिया गया)

24. विशेष रूप से, दोनों निगमों से संबंधित समाधान योजना

अक्टूबर 2017 में संबंधित सी. ओ. सी. द्वारा के. एस. एंड पी. आई. पी. एल. और आई. आई. एल. नाम के देनदारों पर विचार किया गया था और वित्तीय लेनदारों के 75 प्रतिशत से भी कम मतदान हिस्से द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके अपरिहार्य परिणाम प्रस्तावित समाधान योजना को असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों द्वारा अस्वीकृत या अस्वीकृत माना जाता है। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (दिवाला समाधान प्रक्रिया) के विनियमन 2 (1) (एफ) में 'असहमत वित्तीय लेनदारों' की अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है।

निगमित व्यक्ति) विनियम, 2016, जिसका अर्थ है वित्तीय लेनदार

जिन्होंने समिति द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना के खिलाफ मतदान किया। इस परिभाषा को बाद में डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2018 में संशोधित किया गया, जिसका अर्थ था वित्तीय लेनदार जिन्होंने समाधान योजना के खिलाफ मतदान किया या समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के लिए मतदान से दूर रहे।

25. मान लीजिए कि कॉरपोरेट देनदार के. एस. और पी. आई. पी. एल. के मामले में, समाधान योजना, जब इसे 27 अक्टूबर, 2017 को आयोजित सी. ओ. सी. की बैठक में मतदान के लिए रखा गया था, तो वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के केवल 55.73% की मंजूरी प्राप्त कर सकी और भले ही बाद में मंजूरी दी गई हो। ईमेल द्वारा दिए गए (10.94% द्वारा) को ध्यान में रखा जाता है, यह वित्तीय के मतदान हिस्से के 75 प्रतिशत से कम के आवश्यक वोट को पूरा नहीं करता है।

सी. ओ. सी. बैठक में 15.15% द्वारा और बाद में अतिरिक्त रूप से ईमेल द्वारा 11.82% द्वारा। इस प्रकार, समाधान योजना को वित्तीय लेनदारों के कम से कम 25 प्रतिशत मतदान हिस्से द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। ऐसे मामले में, समाधान पेशेवर समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (6)। इसके बजाय, यह एक ऐसा मामला था जिसे धारा के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जाना था

33 (1) आई एंड बी कोड। इसी तरह, निगमित देनदार आई. आई. एल. के मामले में, समाधान योजना को वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के केवल 66.57% की मंजूरी मिली और 33.43% ने समाधान योजना के खिलाफ मतदान किया। यह निर्विवाद स्थिति होने के कारण, एन. सी. एल. ए. टी. ने राय दी कि समाधान योजना को सी. ओ. सी. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और सहवर्ती दो कॉर्पोरेट देनदारों से संबंधित परिसमापन प्रक्रिया शुरू करना है।

26. प्रस्ताव आवेदक और दोनों निगमों के संबंध में संबंधित समाधान योजना का समर्थन करने वाले हितधारकों के अनुसार

देनदार, आई एंड बी कोड की धारा 30 (4) में अक्टूबर 2017 में प्रासंगिक समय पर लागू होने वाली शर्त केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। यह तर्क खंड में आने वाली अभिव्यक्ति "हो सकता है" पर आधारित है।

30 (4) आई एंड बी कोड। यह तर्क हमें स्वीकार्य नहीं है। इसमें, "हो सकता है" शब्द सी. ओ. सी. के विवेक के अनुरूप है-अनुमोदन करने के लिए। समाधान योजना को मंजूरी देना या न देना। जो महत्वपूर्ण है वह उक्त प्रावधान का दूसरा भाग है, जो सी. ओ. सी. द्वारा विधिवत अनुमोदित समाधान योजना को मानने के लिए "वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं" की आवश्यक सीमा निर्धारित करता है। यह शर्त सार है और समाधान योजना के अनुमोदन के लिए अनिवार्य कर दी गई है। किसी भी अन्य व्याख्या के परिणामस्वरूप प्रावधान को फिर से लिखा जाएगा और विधायी इरादे के लिए हिंसा की जाएगी।

27. तब यह तर्क दिया गया कि दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्या 8, दिनांक 18 जनवरी, 2018) के माध्यम से संशोधन 23 नवंबर, 2017 से संशोधित प्रावधान को प्रतिस्थापित करने के लिए था, जिसका अर्थ है कि संशोधित प्रावधान आई एंड बी कोड के प्रारंभ से धारा 30 (4) के रूप में शामिल किया गया था।

संशोधित प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करते हुए इस तर्क पर थोड़ी देर बाद विचार किया जाएगा। वर्तमान में, हम सूचना और प्रसारण संहिता के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों की ओर ध्यान दे रहे हैं, जो अक्टूबर 2017 में लागू थे, जब संबंधित निगमित देनदार के सी. ओ. सी. को प्रस्तावित समाधान योजना पर विचार करने के लिए कहा गया था।

28. अब हम सूचना और प्रसारण संहिता के तहत बनाए गए 2016 के विनियमों के प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं। विनियमों का अध्याय-VI किससे संबंधित है

समिति की आम बैठकें। अध्याय-VII समिति द्वारा मतदान से संबंधित मामलों के साथ। अध्याय-VIII निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन के साथ और अध्याय-X समाधान योजना के साथ। चूंकि विचाराधीन मुद्दा प्रस्तावित दिवाला समाधान योजना पर विचार करने के लिए सी. ओ. सी. की बैठक के संचालन के बारे में है, इसलिए हम विशेष रूप से अध्याय-VI और VII में वर्णित व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। विनियम 18 प्रस्ताव पेशेवर द्वारा बुलाई जाने वाली समिति की बैठकों के बारे में है जब वह आवश्यक समझता है या

33 प्रतिशत मतदान अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति के सदस्यों द्वारा की गई मांग। विनियम 19 ऐसी बैठक आयोजित करने के लिए सूचना अवधि के बारे में है और विनियम 20 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना देने के बारे में है। विनियम 21 बैठक के लिए सूचना की सामग्री के बारे में है। विनियम 22 बैठक में गणपूर्ति का प्रावधान करता है और विनियम 23 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों के माध्यम से समिति के सदस्यों की भागीदारी को मान्यता देता है, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है। दूसरे शब्दों में, समिति के सदस्यों को मतदान के दौरान व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो या दृश्य माध्यमों से ऐसा कर सकते हैं। बैठक का संचालन विनियमन 24 द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ऐसी बैठक के दौरान मतदान की विधि और प्रक्रिया विनियमन 25 और 26 में बताई गई है। विनियमन 25 बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा मतदान के बारे में है और विनियमन 26 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के बारे में है।

29. यह ध्यान दिया जाए कि ये प्रावधान आम तौर पर समिति की बैठकों के संचालन और ऐसी बैठकों के दौरान मतदान के तरीके के बारे में हैं। समाधान योजना के अनुमोदन के संबंध में विशिष्ट प्रावधान का पता विनियमन 39 से लगाया जा सकता है। विनियमन 39, जैसा कि यह अक्टूबर 2017 में प्रासंगिक समय पर लागू था, इस प्रकार पढ़ता हैः

" 39. समाधान योजना की स्वीकृति। - (1) एक समाधान आवेदक के अनुसार तैयार एक समाधान योजना प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा।

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

निगमित दिवाला समाधान को पूरा करने के लिए धारा 12 के तहत अनुमत अधिकतम अवधि की समाप्ति से तीस दिन पहले

(2) समाधान पेशेवर उन सभी समाधान योजनाओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो संहिता और इन विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। (3) समिति किसी भी समाधान योजना को ऐसे संशोधनों के साथ मंजूरी दे सकती है जो उसे उचित लगे।

(4) समाधान पेशेवर समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को इस प्रमाणन के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा किः

(क) समाधान योजना की सामग्री सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है।

संहिता और विनियम; और

(ख) समाधान योजना को समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(5) समाधान पेशेवर तुरंत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश की एक प्रति भेजेगा जो एक को मंजूरी या अस्वीकार करेगा।

प्रतिभागियों और समाधान आवेदक के लिए समाधान योजना। (6) एक समाधान योजना में एक प्रावधान जिसके लिए अन्यथा कॉर्पोरेट देनदार के सदस्यों या भागीदारों की सहमति की आवश्यकता होगी, जैसा भी मामला हो, कॉर्पोरेट देनदार के संवैधानिक दस्तावेजों की शर्तों के तहत, शेयरधारकों का समझौता, संयुक्त उद्यम समझौता या इसी तरह के अन्य दस्तावेज, प्रभावी होंगे, भले ही ऐसी सहमति प्राप्त नहीं की गई हो।

(7) दिवालिया शुरू होने की तारीख से पहले, कॉर्पोरेट देनदार की किसी भी कार्रवाई के लिए, अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर के खिलाफ, जैसा भी मामला हो, कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

(8) व्यवसाय के प्रबंधन या नियंत्रण का प्रभारी व्यक्ति

और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक समाधान योजना को अनुमोदित करने के बाद निगमित देनदार का संचालन, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक आदेश के लिए आवेदन कर सकता है जिसमें स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता मांगी गई है। समाधान योजना। ”

इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि

यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि प्रस्तावित समाधान योजना को सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया है या नहीं, "वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से" के प्रतिशत की गणना करना है। जब सी. ओ. सी. की बैठक में चर्चा किए गए अन्य विषयों (संकल्प योजना के अनुमोदन के अलावा) के संबंध में मतदान की विधि और मतदान के परिणाम को निर्धारित करने की बात आती है, तो यह अक्टूबर 2017 में लागू विनियमन 25 द्वारा शासित होता है। वही इस प्रकार पढ़ा जाता है:

" 25. समिति द्वारा मतदान। - (1) अनुभाग में सूचीबद्ध कार्य

28 (1) समिति की बैठकों में इस पर विचार किया जाएगा।

(2) धारा 28 (1) में सूचीबद्ध कार्रवाइयों के अलावा कोई अन्य कार्रवाई

समिति के अनुमोदन पर बैठकों में विचार किया जा सकता है

समिति।

(3) जहाँ सभी सदस्य एक बैठक में उपस्थित होते हैं, प्रस्ताव पेशेवर समिति के सदस्यों का वोट लेंगे।

उसी पर चर्चा के बाद मतदान के लिए सूचीबद्ध किसी भी वस्तु पर। (4) बैठक में मतदान के समापन पर, प्रस्ताव

पेशेवर वस्तुओं पर लिए गए निर्णय की घोषणा करेंगे।

समिति के सदस्यों के नाम के साथ जो

निर्णय के पक्ष या विपक्ष में मतदान किया, या मतदान से दूर रहे। (5) यदि सभी सदस्य एक बैठक में उपस्थित नहीं हैं, तो एक वोट होगा

ऐसी बैठक में नहीं लिया जाना चाहिए और समाधान पेशेवर

करेंगे।

(क) बैठक के कार्यवृत्त को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित करें।

बैठक के समापन के घंटे; और (ख) संविधान में मतदान के लिए सूचीबद्ध मामलों पर मतदान करना।

बैठक, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली द्वारा जहाँ मतदान होता है

से चौबीस घंटे के लिए खुला रखा जाएगा मिनटों का संचलन "।

(जोर दिया गया)

सहमति से, विनियम 25 और 39 को धारा के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।

30 (4) समाधान योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया से संबंधित सूचना और प्रसारण संहिता। इसके लिए, "वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से का प्रतिशत" अनुमोदन करने के साथ-साथ असहमति की गणना करने की आवश्यकता है।

यह के. शशिधर बनाम पर नहीं है। भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सदस्यों के उपस्थित होने और मतदान करने का आधार। किसी भी तरह से, अनुमोदन करने वाले मतों को वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के सीमा प्रतिशत को पूरा करना चाहिए। इस स्पष्ट अंतर को ध्यान में रखते हुए, यह पालन करना चाहिए कि संबंधित निगमित देनदारों से संबंधित समाधान योजना,

वित्तीय लेनदारों का मतदान हिस्सा या अस्वीकृत माना गया है। उस स्थिति में, अपरिहार्य परिणाम परिसमापन प्रक्रिया शुरू करना है। आई एंड बी संहिता की धारा 33 के अनुसार संबंधित निगमित देनदार से संबंधित।

31. वास्तव में, सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 31 के संदर्भ में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) से दो स्थितियों से निपटने की अपेक्षा की जाती है।

पहला तब होता है जब उसे धारा 30 की उप-धारा (6) के तहत समाधान योजना प्राप्त नहीं होती है या जब समाधान योजना को समाधान पेशेवर द्वारा सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (2) का पालन न करने के लिए अस्वीकार कर दिया जाता है या तब भी जब समाधान योजना वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत की मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहती है, जैसा भी मामला हो; और वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले कोई वैकल्पिक योजना नहीं बनाई जाती है। दूसरा तब होता है जब सी. ओ. सी. द्वारा वित्तीय लेनदारों के कम से कम 75 प्रतिशत मतदान हिस्से द्वारा विधिवत अनुमोदित एक समाधान योजना को संहिता की धारा 30 (6) के तहत समाधान पेशेवर द्वारा इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

32. वर्तमान मामले में, हम ऐसी स्थिति से चिंतित हैं जहां विचाराधीन दोनों समाधान प्रक्रियाओं में, समाधान योजना वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 75 प्रतिशत का समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा। यह ऊपर उल्लिखित पहली श्रेणी है। ऐसी स्थिति में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 33 (1) के संदर्भ में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता है।

आई एंड बी संहिता की धारा 33, जो अक्टूबर 2017 में प्रासंगिक समय पर लागू होती है, इस प्रकार हैः

" 33. परिसमापन की शुरुआत। - (1) जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण,

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि की समाप्ति से पहले

या पूरा करने के लिए अनुमत अधिकतम अवधि

धारा 12 के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या धारा 56 के तहत फास्ट ट्रैक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, कोई समाधान प्राप्त नहीं करती है।

धारा 30 की उप-धारा (6) के तहत योजना; या

(बी) गैर के लिए धारा 31 के तहत समाधान योजना को अस्वीकार करता है

उसमें निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन, यह होगा।

(i) एक आदेश पारित करें जिसमें निगमित देनदार को समाप्त करने की आवश्यकता हो।

इस अध्याय में निर्धारित तरीके से; ((ii) एक सार्वजनिक घोषणा जारी करें जिसमें कहा गया है कि निगम

ऋणी परिसमापन में है; और ((ग) ऐसा आदेश प्राधिकरण को भेजे जाने की अपेक्षा करता है जिसके साथ

निगमित देनदार पंजीकृत है।

(2) जहां समाधान पेशेवर, किसी भी समय कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान लेकिन पुष्टि से पहले

समाधान योजना के बारे में, निगमित को समाप्त करने के लिए लेनदारों की समिति के निर्णय के बारे में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सूचित करता है

ऋणी, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) (ii) और (iii) में निर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा। (3) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का संबंधित निगमित देनदार द्वारा उल्लंघन किया जाता है, वहां निगमित देनदार के अलावा कोई भी व्यक्ति, जिसके हित इस तरह के उल्लंघन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को परिसमापन आदेश के लिए आवेदन कर सकता है।

उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट।

(4) उप-धारा (3) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि निगमित ऋणी ने समाधान योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो वह एक - परिसमापन आदेश जैसा कि उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में संदर्भित है।

(5) धारा 52 के अधीन रहते हुए, जब परिसमापन आदेश पारित किया जाता है, तो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। निगमित देनदारः

बशर्ते कि निगमित ऋणी की ओर से परिसमापक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

(6) उप-धारा (5) के प्रावधान ऐसे लेनदेन के संबंध में कानूनी कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय क्षेत्र के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है।

नियामक।

(7) इस धारा के तहत परिसमापन के आदेश को निगमित देनदार के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को निर्वहन की सूचना माना जाएगा, सिवाय इसके कि परिसमापक द्वारा परिसमापन प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार का व्यवसाय जारी रखा जाए।

33. जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक "अस्वीकृत" समाधान योजना की प्राप्ति पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) से और कुछ करने की अपेक्षा नहीं की जाती है; लेकिन

आई एंड बी कोड की धारा 33 (1) के तहत परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य है। विधायिका ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक निर्णय का विश्लेषण या मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं दिया है।

असहमत वित्तीय लेनदारों द्वारा समाधान योजना। विधायी इतिहास और उस पृष्ठभूमि से जिसमें आई एंड बी संहिता लागू की गई है यह देखा गया है कि चूक के कारण ऋण की वसूली में तेजी लाने के लिए एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण अपनाया गया है

कंपनियाँ। नए दृष्टिकोण में, एक शांत अवधि होती है जिसके बाद 270 दिनों (बाहरी सीमा) के भीतर एक त्वरित समाधान प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें विफल रहने पर परिसमापन प्रक्रिया की शुरुआत को अपरिहार्य और अनिवार्य बना दिया गया है। पहले की व्यवस्था में, निगमित देनदार अनिश्चित काल के लिए बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 की धारा 22 के तहत या ऐसे अन्य अधिनियमों के तहत दिए गए संरक्षण का आनंद लेना जारी रख सकता था, जिन्हें अब छोड़ दिया गया है। इसके अलावा, सूचना और प्रसारण संहिता द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उल्लिखित प्रक्रियाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के सर्वोपरि दर्जा दिया गया है। एक आंतरिक धारणा है कि वित्तीय लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार की व्यवहार्यता के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाता है। और प्रस्तावित समाधान योजना की व्यवहार्यता। वे प्रस्तावित समाधान योजना की गहन जांच और उनके विशेषज्ञों की टीम द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर कार्य करते हैं। विषय वस्तु पर राय [2019] 3 एस. सी. आर.

सी. ओ. सी. की बैठकों में उचित विचार-विमर्श के बाद उनके द्वारा मतदान के माध्यम से व्यक्त किया गया, मतदान शेयरों के अनुसार, एक सामूहिक व्यावसायिक निर्णय है। द.

विधायिका ने जानबूझकर व्यक्तिगत वित्तीय लेनदारों या उनके "वाणिज्यिक ज्ञान" को चुनौती देने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष सामूहिक निर्णय। इसे गैर-न्यायोचित बना दिया गया है।

34. दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट में

नवंबर 2015 में सी. ओ. सी. को विभिन्न संभावनाओं का मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए प्राथमिकता दी गई है। यह इस प्रकार देखा गया है:

" दिवालियापन प्रक्रिया में प्रमुख आर्थिक प्रश्न

जब कोई फर्म (मसौदा कानून में निगमित देनदार के रूप में संदर्भित) डिफ़ॉल्ट रूप से, सवाल उठता है कि क्या किया जाना है। कई

संभावनाओं की कल्पना की जा सकती है। लेने की एक संभावना है

परिसमापन में फर्म। एक और संभावना है बातचीत करना। एक ऋण पुनर्गठन, जहाँ लेनदार कटौती स्वीकार करते हैं

एन. पी. वी. आधार पर ऋण का, और उम्मीद है कि बातचीत का मूल्य

परिसमापन मूल्य से अधिक है। एक और विकल्प है बेचना।

एक चालू संस्था के रूप में फर्म और भुगतान करने के लिए आय का उपयोग करें

कल्पना की जा सकती है। समिति का मानना है कि केवल एक ही सही मंच है

ऐसी संभावनाओं का मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए: ए

लेनदार समिति, जहाँ सभी वित्तीय लेनदारों के पास वोट होते हैं

ऋण की मात्रा के अनुपात में जो वे रखते हैं। में

अतीत में, भारत में कानून सरकार के हथियार लेकर आए हैं

समिति द्वारा सख्ती से टाल दिया गया है। उपयुक्त चूक करने वाली फर्म का निपटान एक व्यावसायिक निर्णय है, और

केवल लेनदारों को ही ऐसा करना चाहिए। ”

(जोर दिया गया)

रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि समय-सीमा होना इसका सार है

समाधान प्रक्रिया। इसके बाद यह उन सिद्धांतों को संदर्भित करता है जो नए दिवाला दिवालियापन समाधान ढांचे के काम को आगे बढ़ाते हैं। इस पहलू से निपटने के दौरान, यह ध्यान दिया जाता है कि संहिता बहुत शुरुआती चरण में उद्यम की व्यवहार्यता के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेगी। रिपोर्ट का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

के. शशिधर बनाम भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" डिजाइन को चलाने वाले सिद्धांत

समिति ने निम्नलिखित सिद्धांतों को तैयार करने के लिए चुना नया दिवाला और दिवालियापन समाधान ढांचाः

I. संहिता व्यवहार्यता के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेगी

बहुत शुरुआती चरण में उद्यम। (1) कानून में स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि उद्यम की व्यवहार्यता व्यवसाय का मामला है, और व्यवसाय के मामलों पर केवल लेनदारों और देनदार के बीच बातचीत की जा सकती है। जबकि व्यवहार्यता का आकलन लेनदारों और देनदार के बीच बातचीत के रूप में किया जाता है, अंतिम निर्णय एक होना चाहिए

उन लेनदारों के बीच समझौता जो दिवालियापन में नुकसान को सहन करने के इच्छुक वित्तपोषक हैं।

(2) विधायिका और अदालतों को समाधान की प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन व्यापार करने के लिए बोझ नहीं होना चाहिए

निर्णय लेते हैं।

(4) कानून को समाधान अवधि के प्रबंधक के रूप में एक समाधान पेशेवर को नियुक्त करना चाहिए, ताकि लेनदार इस विश्वास के साथ व्यवहार्यता के मूल्यांकन पर बातचीत कर सकें कि देनदार करेंगे। उद्यम के मूल्य को कम करने के लिए कोई कार्रवाई न करें। पेशेवर के पास उद्यम के संचालन और परिसंपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन करने की शक्ति और जिम्मेदारी होगी। द.

पेशेवर लेनदारों और देनदारों के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने और सभी लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बातचीत की समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करेंगे। पेशेवर लेनदारों और ऋणदाताओं के बीच जानकारी की विषमता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

समाधान प्रक्रिया में देनदार।

IV. संहिता एक सामूहिक प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।

(9) कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रमुख हितधारक सामूहिक रूप से व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए भाग लेंगे। कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लेनदार जिनके पास अपनी देनदारियों को पुनर्गठित करने की क्षमता और इच्छा है, उन्हें बातचीत प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।

(10) दिवाला को हल करने के अंतिम समाधान पर वोट में अपने वजन को गिनने में कानून को लेनदार के प्रकार के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। VI. संहिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब वार्ता विफल हो

व्यवहार्यता स्थापित करें, दिवालियापन का परिणाम बाध्यकारी होना चाहिए।

(11) कानून को ऐसे उद्यम के परिसमापन का आदेश देना चाहिए जो अव्यवहारिक पाया गया हो। वार्ताओं का यह परिणाम होना चाहिए बहुत असाधारण मामलों के अलावा अन्य सभी अपीलों के खिलाफ संरक्षित।

(जोर दिया गया)

35. जबकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) का विवेक

निगमित देनदार के अन्य ऋणों का पुनर्भुगतान, (ii) निर्धारित तरीके से परिचालन लेनदारों के ऋणों का पुनर्भुगतान, (iii) निगमित ऋणी के मामलों का प्रबंधन, (iv) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण, (v) उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है, (vi) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। निर्दिष्ट बोर्ड की स्थापना आई एंड बी संहिता की धारा 188 के तहत की गई है। इन शक्तियों

और बोर्ड के कार्यों को आई एंड बी कोड की धारा 196 में चित्रित किया गया है। बोर्ड के निर्दिष्ट कार्यों में से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय लेनदारों के तरीके को विनियमित करने से संबंधित नहीं है।

सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना पर मतदान के दौरान अपने व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतदान के समय वित्तीय लेनदारों की व्यक्तिपरक संतुष्टि है

विभिन्न कारकों का एक मिश्रित बोझ होना तय है। स्पष्ट रूप से, प्रस्तावित समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और उनकी धारणाओं को शामिल करते हुए के. शशिधर बनाम।

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

संकल्प आवेदक की अनुमानित योजना को वास्तविकता में बदलने की सामान्य क्षमता के बारे में। समाधान आवेदक ने मानक डेटा द्वारा समर्थित अनुमान दिए होंगे, लेकिन फिर भी असहमत वित्तीय लेनदारों की राय में, यह अटकलों से मुक्त नहीं होगा। ये पहलू पूरी तरह से वित्तीय लेनदारों के अधिकार क्षेत्र में हैं जिन्हें सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना पर मतदान करने के लिए कहा जाता है।

36. इसी कारण से, यहां तक कि एन. सी. एल. ए. टी. का अधिकार क्षेत्र भी

कार्यवाही की निरंतरता उस संबंध में और विशेष रूप से सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 32 के कारण सीमित होगी, जिसमें परिकल्पना की गई है कि समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश से कोई भी अपील सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 (3) में निर्दिष्ट तरीके और आधारों पर होगी। सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 (3) इस प्रकार हैः

" 61. अपील और अपीलीय प्राधिकरण। - (1) इसके बावजूद

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निहित इसके विपरीत कुछ भी

(18 2013 का), न्यायनिर्णायक के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस भाग के तहत प्राधिकरण राष्ट्रीय प्राधिकरण को अपील करना पसंद कर सकता है।

कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण।

(2)

X

XX

XXX

XXX

(3) समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील

धारा 31 निम्नलिखित आधारों पर दायर की जा सकती है, अर्थात्ः

((ii) शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है। निगमित दिवालियापन के दौरान समाधान पेशेवर द्वारा

समाधान अवधि;

((iii) निगम के परिचालन ऋणदाताओं को देय ऋण।

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीका;

((iv) दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत नहीं आई है।

अन्य सभी ऋणों के लिए प्राथमिकता में पुनर्भुगतान के लिए प्रावधान; या

(v) समाधान योजना किसी अन्य मानदंड का पालन नहीं करती है। बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट।

X

XX। ”

XXX

37. आई एंड बी संहिता के प्रावधानों को पढ़ने पर, यह प्रतीत होता है कि धारा 61 (1) के तहत अपील का उपाय "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा पारित आदेश" के खिलाफ है-जिसे हम मान लेंगे।

यह इस तथ्य की रिकॉर्डिंग से भी संबंधित हो सकता है कि प्रस्तावित समाधान योजना को अस्वीकार कर दिया गया है या वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 75 प्रतिशत से कम के वोट द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। निर्विवाद रूप से, अपीलीय प्राधिकरण की अधिकारिता की चौड़ाई और अपील के आधारों सहित अपील का उपचार क़ानून का एक हिस्सा है। एन. सी. एल. टी. या एन. सी. एल. ए. टी. में अधिकार क्षेत्र और प्राधिकरण का निवेश करने वाले प्रावधानों, जैसा कि पहले देखा गया है, ने समाधान योजना को मंजूरी नहीं देने या उसे अस्वीकार करने के सी. ओ. सी. द्वारा प्रयोग किए गए वाणिज्यिक निर्णय को न्यायसंगत नहीं बनाया है। इस स्थिति को धारा 31 के तहत "समाधान योजना को मंजूरी देने" के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए निर्दिष्ट सीमित आधारों से मजबूत किया जाता है। पहला, कि अनुमोदित समाधान योजना उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। दूसरा, निगमित दिवाला समाधान अवधि के दौरान "समाधान पेशेवर द्वारा" शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है। तीसरा, परिचालन लेनदारों को देय ऋणों का समाधान योजना में निर्धारित तरीके से प्रावधान नहीं किया गया है। चौथा, अन्य सभी ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से पुनर्भुगतान के लिए दिवाला समाधान योजना लागत का प्रावधान नहीं किया गया है। पाँचवाँ, समाधान योजना बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मानदंड का पालन नहीं करती है। उल्लेखनीय है कि मामले या आधार-चाहे वह धारा 30 (2) के तहत हो या सूचना एवं प्रसारण संहिता की धारा 61 (3) के तहत-"अनुमोदित" की वैधता का परीक्षण करने से संबंधित हैं।

38. निस्संदेह, ऐसी अपील में जांच धारा 30 (2) के तहत समाधान पेशेवर द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति तक सीमित होगी। आई एंड बी संहिता की धारा 31 (2) के साथ पठित आई एंड बी संहिता की धारा 31 (1) के तहत आई एंड बी संहिता की धारा 31 (2) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा। किसी अन्य जांच की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, अपीलीय को प्रदत्त अधिकारिता

केवल सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 (3) में निर्दिष्ट आधारों के संबंध में चुनौती, जो असहमत वित्तीय लेनदारों की स्वायत्तता या वाणिज्यिक ज्ञान की "जांच" के अलावा अन्य मामलों तक सीमित है। इस प्रकार, निर्धारित प्राधिकरणों (एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी.) को आई. एंड बी. संहिता में निर्दिष्ट सीमित अधिकार क्षेत्र दिया गया है और वे समानता के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं या पूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

39. हमारे विचार में, न तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और न ही अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को अधिकार क्षेत्र दिया गया है -

असहमत वित्तीय लेनदारों के व्यावसायिक विवेक को उलट दें और वह भी इस आधार पर कि यह केवल अल्पसंख्यक वित्तीय लेनदारों की राय है। तथ्य यह है कि वित्तीय का पर्याप्त या बहुमत प्रतिशत

ऋणदाताओं ने समाधान योजना को मंजूरी दे दी है, तब तक कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि अनुमोदन वित्तीय ऋणदाताओं के मतदान हिस्से के 75 प्रतिशत से कम (2018 डब्ल्यू. ई. एफ. के संशोधन के बाद, 66 प्रतिशत) के वोट से न हो। इसे अलग तरह से रखने के लिए, परिसमापन प्रक्रिया की क्रिया आई एंड बी संहिता के अध्याय-III में अभिनिर्धारित, केवल तभी टाला जा सकता है जब समाधान योजना का अनुमोदन वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 75 प्रतिशत से कम (अक्टूबर, 2017 तक) के मत से न हो। इसके विपरीत, विधायी इरादा अल्पसंख्यक असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों की राय या परिकल्पना को बनाए रखना है। यदि यह निर्दिष्ट प्रतिशत (अक्टूबर, 2017 में 25 प्रतिशत) से कम नहीं है, तो यह प्रबल होना चाहिए। और अब डब्ल्यू. ई. एफ. 06.06.2018 संशोधन के बाद, 44 प्रतिशत)। प्रस्तावित समाधान योजना को अस्वीकार करने के लिए वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम आवश्यक प्रतिशत द्वारा मतदान का अपरिहार्य परिणाम, न्यायिक रूप से, इसकी मानित अस्वीकृति में निहित है।

40. विशेष रूप से, समाधान योजना को अस्वीकार करने के लिए असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से की सीमा साधारण बहुमत से काफी कम है

संहिता में आम तौर पर निर्दिष्ट समय-सीमा, कॉर्पोरेट देनदार के सफल पुनरुद्धार का आश्वासन देती है और अंतहीन अटकलों को खारिज करती है। 41. समाधान आवेदक और संबंधित निगमित देनदार की समाधान योजना का समर्थन करने वाले हितधारकों की ओर से पेश वकील ने हमें यह विचार रखने के लिए राजी किया कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों द्वारा मतदान अनुचित, तर्कहीन, दुर्बोध और शक्ति के दुरुपयोग से ग्रस्त है। धारा 30 (4) के तहत वित्तीय लेनदारों को अपना वोट डालने के लिए दी गई शक्ति को विधायी इरादे और कानून की भावना को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक सावधानी, सावधानी और तर्क के साथ उस शक्ति का प्रयोग करने के कर्तव्य के साथ जोड़ा गया है।

आई एंड बी कोड-कॉर्पोरेट देनदारों को पुनर्जीवित करने के लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए न कि उन्हें यांत्रिक रूप से परिसमापन प्रक्रिया, [2019] 3 एस. सी. आर. के कगार पर धकेलने के लिए।

जिसका व्यापक सार्वजनिक हितों और विशेष रूप से हितधारकों पर अपरिहार्य प्रभाव पड़ता है, जिसमें कंपनी से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हैं।

42. यह तर्क, हालांकि पहली बार में आकर्षक है, लेकिन अगर स्वीकार किया जाता है, तो हमें आई एंड बी कोड के प्रावधानों को फिर से लिखने की आवश्यकता होगी। इसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक (असहमत) वित्तीय लेनदारों के व्यावसायिक ज्ञान को चुनौती देने के लिए एक आधार के रूप में जानबूझकर यह निर्धारित नहीं करने के विधायी इरादे के साथ हिंसा भी होगी। मान लीजिए, उन निगमित देनदारियों के संबंध में समाधान योजना की प्रक्रिया आवश्यक है जिनमें उनके वित्तीय लेनदारों ने वसूली की उम्मीद खो दी है और जिन्होंने गैर-निष्पादक या दीर्घकालिक चूककर्ता बन गए हैं। यह तथ्य कि संबंधित निगमित देनदार अभी भी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने में सक्षम था, वित्तीय लेनदारों को देय ऋण की वसूली को स्थगित करने या अपने नुकसान को अनिश्चित काल तक बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं करता है। जांच का दायरा और वे आधार जिनके आधार पर सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना के "अनुमोदन" के निर्णय में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, धारा 30 (2) के साथ पठित धारा 31 (1) में और अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा आई. एंड बी. संहिता की धारा 61 (3) के साथ पठित धारा 32 के तहत निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव पेशेवर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) या उस मामले के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को सी. ओ. सी. के "वाणिज्यिक निर्णय" को उलटने के लिए सशक्त बनाने के लिए विधायिका द्वारा किसी भी संबंधित प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है, बशर्ते कि असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों ने प्रस्तावित समाधान योजना का समर्थन नहीं किया हो। जबकि, विधायी इतिहास से इस बात के विपरीत संकेत मिलते हैं कि वित्तीय लेनदारों के वाणिज्यिक या व्यावसायिक निर्णय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी न्यायिक समीक्षा के लिए खुले नहीं हैं।

43. यह तर्क दिया गया था कि असहमत वित्तीय लेनदारों ने अपनी असहमति दर्ज करने के लिए कोई कारण नहीं बताया है और इसलिए, उनकी कार्रवाई दूषित हो जाता है। अक्टूबर 2017 में प्रासंगिक समय पर लागू प्रावधानों के अनुसार, असहमति के कारणों को दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह आवश्यकता 4 जुलाई, 2018 से प्रभावी विनियमों में एक संशोधन द्वारा पेश की गई है। क्या वह संशोधन है

संभावित या पूर्वव्यापी प्रभाव एक ऐसा मामला है जो होगा

थोड़ी देर बाद विचार करें। 44. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि आई एंड बी कोड और अक्टूबर 2017 में लागू होने वाले उसके तहत बनाए गए नियमों में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थीः

किसी समाधान योजना को अस्वीकार करने या अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करने के लिए असंतुष्ट वित्तीय लेनदार। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कोई के. शशिधर बनाम नहीं है।

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

आई एंड बी संहिता में प्रावधान जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को प्रस्तावित समाधान योजना को अस्वीकार करने या न्यायिक कार्य में संलग्न होने में असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों के दृष्टिकोण की निष्पक्षता की निगरानी करने का अधिकार देता है।

इसकी समीक्षा करें। सहमति से, समाधान पेशेवर द्वारा जांच सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना पर विचार करने से पहले की जाती है। समाधान पेशेवर को वित्तीय लेनदार (ओं) के क्षेत्र के भीतर के मामलों पर अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, अनुमोदन या अस्वीकार करने के लिए आई एंड बी संहिता की धारा 30 (4) के तहत समाधान योजना। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 31 (1) के साथ पठित धारा 30 (2) में निर्दिष्ट सीमित आधारों पर "अनुमोदित" समाधान योजना की जांच कर सकता है। यह कोई अन्य जांच नहीं कर सकता है और न ही वित्तीय लेनदारों के वाणिज्यिक विवेक के प्रयोग के संबंध में कोई निर्देश जारी करने के लिए सक्षम है-चाहे वह अनुमोदन, अस्वीकृति या अस्वीकृति के लिए हो।

परहेज करना, जैसा भी मामला हो। यहां तक कि अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष जांच सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 61 (3) के तहत आधारों तक सीमित है। यह मतदान के समय वित्तीय लेनदारों द्वारा व्यक्त की गई राय की निष्पक्षता की जांच करने के लिए अधिकार क्षेत्र को अभिनिर्धारित नहीं करता है। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को अपनाने से अल्पसंख्यक असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को भी समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए अधिकांश वित्तीय लेनदारों द्वारा व्यक्त की गई वाणिज्यिक राय के तर्क या न्याय पर सवाल उठाने में मदद मिलेगी, भले ही मतदान हिस्सेदारी का आवश्यक प्रतिशत हो।

प्रक्रिया न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अनुमोदित को अस्वीकार करने के लिए अधिकृत करती है

ऐसी चुनौती को स्वीकार करने पर समाधान योजना बनाएँ। यह समाधान योजना के अनुमोदन से संबंधित सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण में निहित अधिकार क्षेत्र का दायरा नहीं है।

45. इसे अलग तरह से रखने के लिए, चूंकि आई एंड बी कोड की धारा 30 (2) या धारा 61 (3) के तहत उपलब्ध आधारों में से कोई भी वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में आकर्षित नहीं है, इसलिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) भी

क्योंकि अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के पास यह दर्ज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था कि संबंधित निगम से संबंधित प्रस्तावित समाधान योजना देनदार (के. एस. एंड पी. आई. पी. एल. और आई. आई. एल.) को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा, चूंकि 270 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के अपेक्षित प्रतिशत द्वारा किसी भी वैकल्पिक समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी, इसलिए अपरिहार्य अगली कड़ी आई एंड बी कोड के अध्याय III में निर्दिष्ट तरीके से संबंधित कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने वाला एक आदेश पारित करना है।

46. इस स्थिति को समझते हुए, समाधान आवेदक और संबंधित [2019] 3 एस. सी. आर. की प्रस्तावित समाधान योजना का समर्थन करने वाले हितधारक।

निगमित देनदार, यह तर्क देंगे कि एन. सी. एल. ए. टी. संशोधित प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है जो 23 नवंबर, 2017 से लागू हुए और दूसरा संशोधन 6 जून, 2018 से आई एंड बी संहिता की धारा 30 (4) तक विशेष रूप से लागू हुआ। उनके अनुसार, उक्त संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए और किसी भी मामले में, प्रकृति में पूर्वगामी, एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही को नियंत्रित करना चाहिए जहां अपील विचार के लिए लंबित थी। इस प्रस्तुति पर विचार करने के लिए, हम दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 की संख्या 8) का विज्ञापन कर सकते हैं, जो 23 नवंबर, 2017 को लागू हुआ माना जाता है। इस अधिनियम की धारा 6 का उद्देश्य मूल अधिनियम की धारा 30 (4) को प्रतिस्थापित करना है। संशोधित उप-धारा (4) इस प्रकार हैः

" 6. मूल अधिनियम की धारा 30 में, उप-धारा (4) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः

(4) लेनदारों की समिति कम से कम पचहत्तर प्रतिशत के मत से समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है। वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से की, इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद,

और ऐसी अन्य आवश्यकताएँ जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाएंः

बशर्ते कि लेनदारों की समिति एक को मंजूरी नहीं देगी

समाधान योजना, शुरू होने से पहले प्रस्तुत की गई दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017, जहां समाधान आवेदक धारा 29 ए के तहत अयोग्य है और समाधान पेशेवर को एक नया प्रस्ताव आमंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है

ऐसी योजना जहाँ इसके साथ कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध न होः

बशर्ते कि जहां संकल्प आवेदक का उल्लेख किया गया हो

पहले परंतुक में धारा 29 ए के खंड (सी) के तहत अपात्र है, समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी अवधि, जो तीस दिनों से अधिक नहीं है, धारा के खंड (सी) के परंतुक के अनुसार अतिदेय राशियों का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी। 29 एः

बशर्ते कि दूसरे परंतुक में कुछ भी उप-परंतुक के प्रयोजनों के लिए अवधि के विस्तार के रूप में नहीं माना जाएगा।

धारा 12 की धारा (3) और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

अनुभाग "। .

47. इस संशोधन द्वारा लाया गया परिवर्तन "इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद" शब्दों का सम्मिलन है, और ऐसे अन्य के. शशिधर बनाम।

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली आवश्यकताएँ। इसके अलावा तीन

उप-धारा (4) में प्रावधान जोड़े गए हैं। हाथ में मुद्दे पर विचार करने के लिए, तीन प्रावधान प्रासंगिक नहीं हैं। जहां तक उप-धारा (4) में उपरोक्त उद्धृत शब्दों को शामिल करने का संबंध है, जो वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 75 प्रतिशत से कम के वोट से समाधान योजना के अनुमोदन के संबंध में आवश्यकता को नहीं बदलता है। संशोधन केवल यह घोषणा करने के लिए है कि वित्तीय लेनदारों को समाधान योजना पर अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और ऐसी अन्य आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं-इसे अनुमोदित करने या न करने के लिए। यह प्राथमिक है कि वित्तीय लेनदार (ज्यादातर मामलों में राष्ट्रीय बैंकर हैं), जिन्हें प्रस्तावित समाधान योजना पर विचार करने के लिए कहा जाता है, वे व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और ऐसी अन्य आवश्यकताओं सहित सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखेंगे जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। इसके अलावा, वित्तीय लेनदारों

यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि विधायी उद्देश्य निगमित देनदारियों का समाधान और पुनरुद्धार करना है ताकि न केवल निगमित देनदार बल्कि अन्य हितधारकों को भी समान रूप से लाभ हो।

48. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि संशोधित प्रावधान केवल दोहराता है

समाधान योजना के अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार करते समय वित्तीय लेनदारों से अपनी पसंद व्यक्त करते समय क्या ध्यान में रखने की अपेक्षा की जाती है। न अधिक और न ही कम। निर्विवाद रूप से, विधायिका ने जानबूझकर न्याय को चुनौती देने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है " वित्तीय लेनदारों द्वारा व्यक्त वाणिज्यिक निर्णय-चाहे वह समाधान योजना को मंजूरी देना हो या अस्वीकार करना हो। मतदान द्वारा इस प्रकार व्यक्त की गई राय गैर-न्यायोचित है। इसके अलावा, वर्तमान मामलों में, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि संबंधित मामलों में बोर्ड द्वारा कौन सी अन्य आवश्यकताएं निर्दिष्ट की गई हैं।

असहमत वित्तीय लेनदारों द्वारा समय पूरा नहीं किया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 188 के तहत स्थापित बोर्ड सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 196 में निर्दिष्ट शक्तियों और कार्यों को पूरा कर सकता है। यह बोर्ड को अनुमोदन के मामलों में वित्तीय लेनदारों द्वारा वाणिज्यिक निर्णयों के प्रयोग के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने का अधिकार नहीं देता है। समाधान योजना या परिसमापन प्रक्रिया। इस प्रकार देखा जाए तो विचाराधीन संशोधन मामले को आगे नहीं ले जाता है।

49. यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने कोई राय व्यक्त की है

धारा 30 (4) में एक ही संशोधन द्वारा प्रस्तुत किए गए तीन प्रावधानों के प्रभाव के बारे में-कि क्या इसका पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। यह प्रश्न इन अपीलों में विचार के लिए नहीं उठता है। हमारी चर्चा [2019] 3 एस. सी. आर. की प्रभावकारिता तक ही सीमित है।

मुख्य प्रावधान में संशोधन। , धारा 30 (4), जिसके तहत उपरोक्त उद्धृत शब्दों ("व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद, और ऐसी अन्य आवश्यकताएं जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं") को जोड़ा गया है।

50. समाधान आवेदक और संबंधित लेनदारों की समाधान योजना का समर्थन करने वाले अन्य हितधारकों के लिए विद्वान वकील ने धारा 30 (4) में संशोधन पर भरोसा किया जो दिवाला और दिवालियापन के माध्यम से 6 जून, 2018 से लागू हो गया है।

संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 की संख्या 8)। उक्त संशोधन अधिनियम की धारा 23 (iii) (a) के अनुसार, धारा 30 की उप-धारा (4) में "पचहत्तर" शब्द को "छियासठ" शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। इस संशोधन से संकेत लेते हुए, यह तर्क दिया गया कि चूंकि संशोधन 75 प्रतिशत से 66 प्रतिशत की सीमा आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है और चूंकि अपील लंबित होने पर इसे लागू किया गया है, इसलिए एन. सी. एल. ए. टी. वर्तमान मामलों पर अपने प्रभाव पर विचार करने के लिए बाध्य था। इसके अलावा, प्रतिस्थापन होने के नाते, यह माना जाना चाहिए कि संशोधित प्रावधान संहिता की शुरुआत से ही हमेशा मौजूद था।

51. हम इस प्रस्तुति से प्रभावित नहीं हैं। हमारी राय में, इस संशोधन द्वारा, अनुमोदन के लिए एक नया मानक और योग्यता मानक

संचालन में या पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। इस व्याख्या को इस तथ्य से बल मिलता है कि 2018 के संशोधन अधिनियम में कोई संकेत नहीं है कि विधायिका का इरादा संबंधित कॉर्पोरेट देनदारों के सी. ओ. सी. द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों को पूर्ववत करने और/या नियंत्रित करने का है। 52. मार्च, 2018 की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। यहां तक कि उक्त रिपोर्ट में पूर्वव्यापी या पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ सीमा आवश्यकता के संबंध में धारा 30 (4) में संशोधन शुरू करने का उल्लेख नहीं है। वास्तव में, रिपोर्ट में संकल्प योजना की अस्वीकृति के लिए मतदान हिस्सेदारी के 25 प्रतिशत के निम्न सीमा स्तर को बदलने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसे उसने महसूस किया कि 44 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। सी. ओ. सी. के निर्णयों के लिए मतदान हिस्सेदारी की सीमा से संबंधित उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी हो सकता है, जो इस प्रकार हैः

के. शशिधर बनाम भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 11.सी. ओ. सी. के निर्णयों के लिए मतदान साझा करने के तीन तरीके

11.1 संहिता की धारा 21 (8) में प्रावधान है कि सी. ओ. सी. के सभी निर्णय 75 प्रतिशत से कम के मत से नहीं लिए जाएंगे।

वित्तीय लेनदारों का मतदान हिस्सा। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 26 के साथ पठित विनियम 25 (5) में प्रावधान है कि यदि सी. ओ. सी. के सभी सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए।

11.2 समिति के समक्ष यह प्रतिनिधित्व किया गया कि निर्णयों के लिए वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से की 75 प्रतिशत की उच्च सीमा

सी. ओ. सी. समाधान प्रक्रिया में एक बाधा साबित हो रही थी। प्रभावी रूप से, उच्च सीमा के परिणामस्वरूप, समाधान योजना और सी. ओ. सी. के अन्य निर्णयों को अवरुद्ध करना, इन्हें मंजूरी देने की तुलना में आसान था।

11.3 समिति ने इस तथ्य पर विचार किया कि अब तक एन. सी. एल. टी. की विभिन्न पीठों ने 30 मामलों में परिसमापन आदेश पारित किए हैं। 76 इन 30 मामलों में से केवल नौ मामले सी. ओ. सी. द्वारा अस्वीकृत किए जाने के कारण समाप्त हुए। इसके अलावा, केवल एक मामले में, समाधान योजना की मंजूरी के लिए 75 प्रतिशत वित्तीय लेनदारों की सहमति की कमी के कारण परिसमापन आदेश पारित किया गया था। 77 शेष आठ मामलों के संबंध में, योजना को 80 प्रतिशत से अधिक मतदान हिस्सेदारी के भारी बहुमत से खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, अनुभवजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि आशंका है कि

अल्पांश ऋणदाताओं द्वारा कंपनियों को परिसमापन में डाला जा रहा है जो पूर्व-परिपक्व हैं। समिति ने दोहराया कि संहिता का उद्देश्य सी. ओ. सी. के व्यावसायिक विवेक का सम्मान करना है। 11.4 समिति ने अन्य कानूनों और दिशानिर्देशों में मतदान की सीमा का उल्लेख किया जो कंपनियों के पुनर्वास से संबंधित हैं।

(ए) सीए 2013 की धारा 230 (6) जो लेनदारों और सदस्यों के साथ समझौता करने या व्यवस्था करने की शक्ति से संबंधित है।

यह प्रावधान करता है कि किसी भी समझौते या व्यवस्था को लेनदारों या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग के मूल्य में 75 प्रतिशत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो। (बी) सीए 201378 की धारा 262 ने पुनर्वास की एक योजना के लिए प्रावधान किया, जिसके लिए (i) सुरक्षित लेनदारों [2019] 3 एस. सी. आर. द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता थी।

कंपनी द्वारा ऐसे लेनदारों को दिए गए ऋण के मूल्य में 75 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है; और (ii) असुरक्षित लेनदार जो उन्हें दिए गए ऋण की राशि के मूल्य में 25 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, स्वैच्छिक समापन के मामले में, सीए 2013 की धारा 311 में 75 प्रतिशत लेनदारों या कंपनी के 75 प्रतिशत सदस्यों की मंजूरी से कंपनी परिसमापक को बदलने का प्रावधान किया गया है। 79 (ग) आर. बी. आई. द्वारा तैयार किया गया संयुक्त ऋणदाता मंच (जे. एल. एफ.) ढांचा (जिसे अब बदल दिया गया है) ऋणदाताओं को निर्धारित प्रारंभिक चरण में दबाव वाली परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनसे निपटने में सक्षम बनाता है।

जे. एल. एफ. में मूल्य के आधार पर लेनदारों के लिए 60 प्रतिशत (75 प्रतिशत से घटाकर) और संख्या के आधार पर लेनदारों के लिए 50 प्रतिशत (60 प्रतिशत से घटाकर) मतदान की सीमा

खाते का पुनर्गठन। 80

(घ) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (9)

बशर्ते कि एक से अधिक सुरक्षित लेनदारों द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति के वित्तपोषण या सुरक्षित लेनदारों द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति के संयुक्त वित्तपोषण के मामले में, कोई भी सुरक्षित लेनदार इसका हकदार नहीं होगाः

संबंधित कानून के तहत उसे प्रदान किए गए किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करें (जैसे कि सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेना या उधारकर्ता के प्रबंधन का अधिग्रहण करना) जब तक कि ऐसे अधिकार के प्रयोग पर सुरक्षित लेनदारों द्वारा सहमति नहीं हो जाती थी, जो रिकॉर्ड तिथि पर बकाया राशि के मूल्य में कम से कम 60 प्रतिशत (75 प्रतिशत से घटाकर) 81 का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसी कार्रवाई सभी सुरक्षित लेनदारों पर बाध्यकारी थी। 11.5 समिति ने यह भी नोट किया कि विश्व स्तर पर, दिवालियापन कानून सी. ओ. सी. के निर्णयों के लिए अलग-अलग मतदान सीमा निर्धारित करते हैं। में।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक योजना के अनुमोदन के लिए मूल्य में 66 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान हिस्सेदारी और प्रत्येक वर्ग के लेनदारों के लिए संख्या में 50 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान हिस्सेदारी की आवश्यकता होती है। 82 कनाडा में स्थिति समान है, हालांकि, ऐसी आवश्यकता असुरक्षित लेनदारों के प्रत्येक वर्ग पर लागू होती है। 83 यू. के. में, प्रशासन के तहत एक योजना की मंजूरी की आवश्यकता होती है

उपस्थित लेनदारों के मूल्य में साधारण बहुमत और मतदान। जबकि सिंगापुर में इस तरह की सीमा अधिक है क्योंकि योजना के अनुमोदन के लिए मूल्य के आधार पर मतदान हिस्सेदारी का 75 प्रतिशत या उससे अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले लेनदारों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक मतदान हिस्सेदारी प्राप्त करना आवश्यक है। 84 समिति का विचार था कि वर्तमान और मतदान की आवश्यकता के साथ एक उच्च सीमा, के. शशिधर बनाम।

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

या वर्तमान और मतदान की आवश्यकता के बिना एक कम सीमा,

अपनाया जा सकता है।

11.6 उचित विचार-विमर्श और अनुभव को ध्यान में रखने के बाद

भारत में पिछले पुनर्गठन कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ

प्रथाओं, समिति ने सहमति व्यक्त की कि उक्त को आगे बढ़ाने के लिए

संहिता का उद्देश्य अर्थात संकल्प को बढ़ावा देना, मतदान

समाधान योजना के अनुमोदन के लिए हिस्सेदारी और अन्य महत्वपूर्ण

धारा के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के अतिरिक्त 30 (4) , अन्य महत्वपूर्ण निर्णय सी. आई. आर. पी. का विस्तार हैं।

धारा 12 (2) के तहत 180 दिनों से अधिक, प्रतिस्थापन या धारा 22 (2) और 27 (2) के तहत आर. पी. की नियुक्ति, और

धारा 33 (2) के तहत परिसमापन के लिए एक प्रस्ताव पारित करना

कोड। इसके अलावा, अन्य दिनचर्या की मंजूरी के लिए

निगमित देनदार को जारी रखने के लिए निर्णय

आई. आर. पी./आर. पी. की चिंता, मतदान हिस्सेदारी की सीमा हो सकती है

मतदान के हिस्से का 51 प्रतिशत या उससे अधिक तक घटाया गया

वित्तीय लेनदार "।

(पैरा 11.3 में जोर दिया गया है)

53. उल्लेखनीय रूप से, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अनुभवजन्य रिकॉर्ड

यह सुझाव देता है कि कंपनियों के बारे में आशंका जो अल्पसंख्यक लेनदारों द्वारा परिसमापन में डाली जा रही है, पूर्व-परिपक्व है और आगे यह कि संहिता का उद्देश्य सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक विवेक का सम्मान करना है। के रूप में

2018 के संशोधन को स्पष्टीकरणात्मक नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसमें समाधान योजना के अनुमोदन के रूप में सी. ओ. सी. के निर्णय पर विचार करने के लिए एक नए मानदंड की परिकल्पना की गई है। 2018 का संशोधन अधिनियम 6 जून, 2018 से लागू हो गया है, इसलिए इसका संभावित अनुप्रयोग होगा और यह केवल सी. ओ. सी. के निर्णयों पर लागू होगा।

समाधान योजना के अनुमोदन के संबंध में उस तारीख को या उसके बाद लिया गया।

54. रिलायंस को संकल्प आवेदकों द्वारा रखा गया था और

संबंधित निगम की समाधान योजना का समर्थन करने वाले हितधारक

देनदार, गोट्टुमुक्कला वेंकट कृष्णराजू (ऊपर), बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर), और भारतीय स्टेट बैंक (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसलों पर। गोट्टुमुक्कला (ऊपर) के मामले में, यह न्यायालय, भारत सरकार बनाम भारत सरकार बनाम भारत सरकार बनाम

" 15. आमतौर पर जहां भी 'प्रतिस्थापन' या 'प्रतिस्थापन' शब्द होता है।

इसमें दो चरण होते हैंः सबसे पहले, पुराने नियम का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है और, इसके बाद, नए नियम को इसके स्थान पर अस्तित्व में लाया जाता है। द.

नियम यह है कि जब कोई बाद का अधिनियम इस तरह के पहले वाले अधिनियम में संशोधन करता है

स्वयं को या स्वयं के एक हिस्से को पहले वाले में शामिल करने का एक तरीका,

तब पूर्ववर्ती अधिनियम को इसके बाद पढ़ा जाना चाहिए और इसका अर्थ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए जैसे कि
परिवर्तित शब्दों को पहले के अधिनियम में कलम से लिखा गया था

और स्याही और पुराने शब्द निकल गए ताकि उसके बाद कोई न हो संशोधन अधिनियम का उल्लेख करने की आवश्यकता है। कोई शक नहीं, निश्चित रूप से

स्थितियों, न्यायालय के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने की मांग का अर्थ यह हो सकता है कि

शब्द "प्रतिस्थापन" एक "संशोधन" के रूप में एक संभावित प्रभाव। इसलिए, हम नहीं सोचते कि यह एक है

सार्वभौमिक नियम है कि 'प्रतिस्थापन' शब्द आवश्यक रूप से या हमेशा दो अलग किए जा सकने वाले चरणों को संदर्भित करता है, अर्थात, एक

निरसन और एक नया अधिनियम, भले ही इसका तात्पर्य हो।

दो कदम। तथापि, उपरोक्त सामान्य अर्थ है -

प्रभावी किया जाएगा, जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि विधायिका का इरादा था

अन्यथा। जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, जैसा कि चर्चा की गई है

इसके बाद, विधायी इरादा भी प्रभाव देना था

उन पदधारियों के संबंध में भी संशोधित प्रावधान जो थे 1 सितंबर, 2016 तक सेवा में।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने इस स्थिति को दोहराया है कि कोई कठोर और कठोर नहीं हो सकता है।

केवल संशोधन अधिनियम में "प्रतिस्थापित" अभिव्यक्ति के उपयोग के कारण त्वरित नियम। क्योंकि, कुछ स्थितियों जैसे कि वर्तमान मामले में, संशोधन का संभावित प्रभाव होगा क्योंकि इसका उद्देश्य संशोधित प्रावधान के लागू होने से पहले संबंधित निगमित ऋणदाताओं के सी. ओ. सी. द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों को उलटना या रद्द करना नहीं है।

55. तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ

भारत और ओआरएस। , 24 पैराग्राफ 23 में कहा गया है कि यह सामान्य कानून है कि प्रत्येक क़ानून संभावित है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से न हो। पूर्वव्यापी संचालन के लिए निहितार्थ। इस प्रस्ताव को पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर (पी) लिमिटेड बनाम पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर (पी) लिमिटेड में दोहराया गया है। पैराग्राफ 51 में असम एस. ई. बी. और Anr.25, जो इस प्रकार हैः

24 (2011) 6 एससीसी 739

25 (2012) 7 एस. सी. सी. 462 के. शशिधर बनाम

भारतीय ओवरसीज बैंक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" 51. इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है कि यह अधिनियम एक मौलिक है।

उच्च ब्याज दर की पात्रता के निहित अधिकारों के रूप में कानून

संबंधित दायित्व खरीदार पर लगाया जाता है। यह अदालत, समय और फिर से, यह देखा गया है कि कोई भी मूल कानून

संभावित रूप से संचालित करें जब तक कि पूर्वव्यापी संचालन न हो

स्पष्ट रूप से क़ानून की भाषा में बनाया गया है। केवल ए

प्रक्रियात्मक या घोषणात्मक कानून पूर्वव्यापी रूप से कार्य करता है प्रक्रिया में कोई निहित अधिकार नहीं है।

(जोर दिया गया)

सी. आई. टी. बनाम वाटिका में व्याख्या को ध्यान में रखना उपयोगी हो सकता है।

जहाज़ (पी) Ltd.26 पैराग्राफ 29 में, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 29. पूर्वव्यापीता के खिलाफ सिद्धांत का स्पष्ट आधार है

"निष्पक्षता" का सिद्धांत, जो प्रत्येक कानूनी का आधार होना चाहिए नियम जैसा कि एल 'ऑफिस चेरिफियन डेस फॉस्फेट v में देखा गया था।

यामाशिता-शिन्निहोन स्टीमशिप कं. Ltd.7 इस प्रकार, कानून

जो अर्जित अधिकारों को संशोधित करता है या जो दायित्वों को लागू करता है

या नए कर्तव्यों को लागू करना या एक नई विकलांगता संलग्न करनी होगी

संभावित के रूप में माना जाता है जब तक कि विधायी इरादा स्पष्ट रूप से न हो

अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए; जब तक कि

किसी पूर्व विधान में या किसी पूर्व विधान की व्याख्या करने के लिए। हम पर उपलब्ध मामले कानून के कॉर्नुकोपिया पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है

विषय क्योंकि उपरोक्त कानूनी स्थिति स्पष्ट रूप से उभरती है

विभिन्न निर्णयों और इस कानूनी स्थिति को स्वीकार किया गया था

पक्षों के लिए परामर्श। किसी भी मामले में, हम कुछ का उल्लेख करेंगे

इस उक्ति वाले निर्णय, थोड़ी देर बाद "।

(जोर दिया गया)

एक बार फिर, विजयलक्ष्मी राइस मिल्स में, न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी।

ओआरएस। बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ", पैराग्राफ 5 में, न्यायालय

वेद इस प्रकार हैः

" 5. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए श्री नरीमन ने कहा है कि के खंड 2 में आने वाले "प्रतिस्थापित" शब्द पर बहुत जोर

चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन)

5) 1 एससीसी 1

आदेश, 1964 और आग्रह किया है कि अपीलकर्ताओं का दावा नहीं कर सकता है वैध रूप से नजरअंदाज किया जाए। अपने निवेदन को विस्तार से बताते हुए, वकील ने

तर्क दिया कि जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित कीमतें अभिप्रेत हैं

चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा) के माध्यम से निर्धारित मूल्य संशोधन) आदेश, 1964, उन तारीखों की परवाह किए बिना जिन पर

आपूर्ति की गई। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। यह.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि शब्द का शाब्दिक अर्थ

" प्रतिस्थापन "है" प्रतिस्थापित करने के लिए "लेकिन हमारे सामने सवाल है

किस तारीख से नए का प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापन

अनुसूची प्रभावी हुई। कोई डीमिंग क्लॉज या कुछ नहीं है

चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण में ऐसा प्रावधान

(तीसरा संशोधन) आदेश, 1964 यह इंगित करने के लिए कि यह था

इसका उद्देश्य पूर्वव्यापी प्रभाव डालना है। यह एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है व्याख्या का नियम कि व्यक्त शब्दों के अभाव में या

उपयुक्त भाषा जिससे पूर्वव्यापीता का अनुमान लगाया जा सकता है,

एक अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होती है न कि

कोई भी पूर्व तिथि। यह सिद्धांत भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि क़ानूनों को

नई अक्षमताओं या दायित्वों को पैदा करने के लिए नहीं माना जाता है या

लेन-देन के संबंध में नए शुल्क लागू करना जो पूर्ण हो गए थे

संशोधन अधिनियम के लागू होने के समय। देखें नानी गोपाल

मित्रा वी। बिहार राज्य 1 "।

(जोर दिया गया)

56. बी. के. एजुकेशनल (ऊपर) में निर्णय के संबंध में, न्यायालय

इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या सीमा अधिनियम, 1963 उन आवेदनों पर लागू होगा जो संहिता की धारा 7 और/या धारा 9 के तहत 01-12-2016 पर शुरू होने और 06-06-2018 तक किए जाते हैं। उस प्रश्न की जांच 2018 के स्व-समान संशोधन अधिनियम द्वारा सूचना और प्रसारण संहिता में जोड़ी गई धारा 238 ए के संदर्भ में की गई थी। न्यायालय ने मार्च, 2018 की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट की सामग्री और संहिता के अन्य प्रावधानों और अन्य अधिनियमों पर विचार करने के बाद कहा कि धारा 238-ए प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक थी और एक प्रक्रियात्मक कानून होने के कारण यह माना गया कि इसका पूर्वव्यापी प्रभाव था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई अन्य दृष्टिकोण लेने के परिणामस्वरूप असंगत होगा।

सीमा अधिनियम के प्रावधान उसी न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले कुछ मामलों में लागू होंगे, न कि अन्य मामलों में। इसके अलावा, न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि के. शशिधर बनाम पर मुकदमा करने का अधिकार है।

उस तारीख को जमा होता है जब डिफ़ॉल्ट होता है और यदि डिफ़ॉल्ट होता है आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले भी, इसे "देय और देय ऋण" या "देय ऋण" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

57. भारतीय स्टेट बैंक (उपरोक्त) के मामले में, न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या आई एंड बी संहिता की धारा 14, जो प्रावधान करती है

58. हालाँकि, वर्तमान मामले में, धारा 30 (4) से संबंधित विचाराधीन संशोधन, सी. ओ. सी. के निर्णयों के लिए मतदान हिस्सेदारी सीमा को संशोधित करने के लिए है और इसे स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह समाधान योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया से संबंधित सी. ओ. सी. के निर्णय की गणना के लिए योग्यता मानकों में बदलाव करता है। शासी प्रावधानों के संदर्भ में अक्टूबर 2017 में पक्षों और विशेष रूप से ऋण देने वाले वित्तीय लेनदारों के बीच स्पष्ट किए गए अधिकारों/दायित्वों को केवल उस ओर से बनाए गए कानून द्वारा विभाजित या पूर्ववत किया जा सकता है। विधायिका द्वारा। समिति की रिपोर्ट या 2018 के संशोधन अधिनियम में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि विधायिका 6 जून से पहले लिए गए सी. ओ. सी. के निर्णयों को पूर्ववत करने का इरादा रखती है।

2018. यह समझना संभव नहीं है कि मतदान हिस्सेदारी के सीमा प्रतिशत को कम करने वाले संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानों को प्रकृति में घोषणात्मक या स्पष्टीकरणात्मक कैसे माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में एन. सी. एल. ए. टी. संशोधित प्रावधान के आधार पर मामले की जांच नहीं कर सकता था। इसी कारण से, एन. सी. एल. टी. एक अलग तरीका नहीं अपना सकती थी। इन मामलों में दृष्टिकोण। इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।

59. हमारे विचार में, संबंधित निगमित ऋणदाताओं की समाधान योजना का समर्थन करने के लिए उठाए गए किसी अन्य विवाद का कोई लाभ नहीं होगा। फिर भी, हम विनियमन 39 के संशोधन के प्रभाव के बारे में तर्क का विज्ञापन कर सकते हैं जो 4 जुलाई, 2018 से लागू हुआ है। उस संशोधन से पहले, विनियम 39 (3) में केवल यह प्रावधान किया गया था कि समिति ऐसे संशोधनों के साथ किसी भी समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है जो उसे उचित लगे। इसे 3 जुलाई, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया था और प्रतिस्थापित विनियमन 39 (3) अब इस प्रकार है:

" 39. समाधान योजना की स्वीकृति।

XXX

X

XX

XXX

(3) समिति प्राप्त समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करेगी।

उप-विनियम (1) के तहत मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार सख्ती से

सर्वोत्तम समाधान योजना की पहचान करें और इसके साथ इसे मंजूरी दे सकते हैं संशोधन जैसा वह उचित समझता हैः

समाधान योजना को मंजूरी देना या अस्वीकार करना।

60. सबसे पहले, विनियमन में संशोधन नहीं हो सकता है

पूर्वव्यापी प्रभाव ताकि संबंधित निगमित देनदार के सी. ओ. सी. के निर्णय को प्रभावित किया जा सके-जो उक्त विनियमन के संशोधन से पहले लिया गया था। संशोधित संहिता या विनियमों में यह सुझाव देने के लिए कोई संकेत नहीं है कि इस संशोधन के परिणामस्वरूप 3 जुलाई, 2018 से पहले संबंधित सी. ओ. सी. द्वारा लिए गए निर्णयों को दूषित माना जाए या उस मामले के लिए, कारणों को दर्ज करने के लिए सी. ओ. सी. को प्रस्ताव को वापस करने की आवश्यकता हो, वह भी 270 दिनों की वैधानिक अवधि से परे। एक नया जीवन नहीं दिया जा सकता है

समाधान योजना जो इस तरह के परिपथ मार्ग से वैधानिक अवधि के भीतर फलीभूत नहीं हुई।

61. यह मानते हुए कि यह प्रावधान मामलों पर लागू था

सी. ओ. सी. की बैठक में मतदान के दौरान संबंधित वित्तीय लेनदार द्वारा समाधान योजना को मंजूरी या अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज न करने से सी. ओ. सी. का अंतिम सामूहिक निर्णय स्वतः अमान्य नहीं हो जाएगा। यदि समाधान योजना पर आपत्ति धारा 30 (2) और 61 (3) में निर्दिष्ट आधारों के उल्लंघन के कारण है, तो इसे प्रासंगिक समय पर विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से उठाया जाना चाहिए। क्योंकि, सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना की मंजूरी को उन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। हालाँकि, यदि प्रस्तावित समाधान योजना का विरोध विशुद्ध रूप से एक वाणिज्यिक या व्यावसायिक निर्णय है, तो वही, गैर-न्यायसंगत होने के कारण, नहीं है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) या उस मामले के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष चुनौती देने के लिए तैयार हैं। यदि ऐसा है, तो इस तरह के व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए किसी भी कारण को दर्ज न करने से कोई लाभ नहीं होगा। वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, असहमत वित्तीय लेनदारों ने खारिज कर दिया है

समाधान योजना व्यवसाय/वाणिज्यिक निर्णय के प्रयोग में और धारा 30 (2) या धारा 61 (3) में निर्दिष्ट आधारों के गैर-अनुपालन के कारण नहीं। परिणामस्वरूप, सेवा में लगाए गए संशोधित विनियमन का कोई लाभ नहीं होगा।

योजना को इसमें पढ़ा जाना चाहिए। उस मामले में, न्यायालय ने प्रतिभूतिकरण की धारा 13 में निर्दिष्ट तंत्र पर विचार किया था और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002, जिसमें उधारकर्ता को नोटिस देने का प्रावधान है और इस तरह की सूचना की प्राप्ति पर उधारकर्ता इस बात पर आपत्ति उठा सकता है कि सुरक्षित लेनदार की प्रस्तावित कार्रवाई क्यों अनावश्यक थी। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 45 में इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 45. जिस पृष्ठभूमि में हमने ऊपर संकेत दिया है, हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि उधारकर्ता को अपनी शिकायत व्यक्त करने के लिए कौन से मंच या उपाय उपलब्ध हैं। अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत उधारकर्ता को नोटिस देने का उद्देश्य यह है कि उधारकर्ता द्वारा एक जवाब प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें कारणों की व्याख्या की जा सकती है कि उपाय क्यों किए जा सकते हैं या क्यों नहीं किए जा सकते हैं।

गैर के मामले में धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत

60 दिनों के भीतर नोटिस का अनुपालन। लेनदार को इस तरह की सूचना के जवाब में उठाई गई आपत्तियों पर अपना दिमाग लगाना चाहिए और सूचना के जवाब में उठाई गई ऐसी आपत्तियों पर विचार करने के लिए एक आंतरिक तंत्र विशेष रूप से विकसित किया जाना चाहिए। उठाई गई आपत्तियों को विधिपूर्वक अस्वीकार करने और अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत कठोर उपाय करने के लिए आगे बढ़ने के बजाय उन पर कुछ सार्थक विचार किया जा सकता है। एक बार लेनदार की ओर से इस तरह के कर्तव्य की परिकल्पना की गई है कि यह केवल बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से अपने उधारकर्ताओं के साथ व्यवहार करने में निष्पक्षता के सिद्धांतों के लिए अनुकूल होगा ताकि धारा 13 की उप धारा (4) के तहत उपाय करने के लिए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दिए गए नोटिस के जवाब में उठाई गई आपत्तियों या बिंदुओं को स्वीकार नहीं करने के कारण से अवगत कराया जा सके। इस तरह के कारणों, उधारकर्ता की आपत्तियों को खारिज करते हुए, सुरक्षित लेनदार द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए। यह केवल में होगा

संस्थागत वित्तपोषण के लेन-देन में तर्कसंगतता और निष्पक्षता की आवश्यकता को पूरा करना जो देश की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के विकास में उद्देश्य की पूर्ति करेगा। यह निश्चित रूप से [2019] 3 एस. सी. आर. के संचालन में सामान्य रूप से सुरक्षित देनदारों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

मामलों को इस तरह से कि वे चूक करने वाले न पाए जाएं और

धारा 13 की धारा (4)। उसी समय, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, हमें स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करना चाहिए कि संचार

द्वारा की गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं करने के कारणों का

सुरक्षित उधारकर्ता को अवसर देने के लिए नहीं लिया जा सकता है ऐसी कार्यवाहियों का सहारा लेना जिनकी अनुमति नहीं है

अधिनियम के प्रावधान। लेकिन कारणों का संचार नहीं

उधारकर्ता की आपत्तियों को स्वीकार करें, निश्चित रूप से इसके लिए होगा

उनके ज्ञान का उद्देश्य जो इस दिशा में एक कदम आगे होगा

उसे यह जानने का अधिकार है कि उसकी आपत्तियों को क्यों स्वीकार नहीं किया गया है

सुरक्षित लेनदार द्वारा जो कठोर कदम उठाने का इरादा रखता है का प्रबंधन/व्यवसाय संभालना। बिना सुरक्षित परिसंपत्तियाँ

न्यायालय का हस्तक्षेप। ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध में कदम उठाए जाते हैं

अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत लिए जाने की संभावना नहीं है

स्वीकार न करने के कारणों को जानने के अधिकार से इनकार किया गया और

उनकी आपत्तियाँ। यह सच है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, हो सकता है कि वह कारणों को चुनौती देने का हकदार न हो

सुरक्षित लेनदार के बारे में सूचित या संभावित कार्रवाई उस समय जब तक कि ऋण तक पहुँचने का उसका अधिकार न हो

अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रदान किए गए वसूली न्यायाधिकरण

उप के तहत लिए गए किसी भी उपाय पर परिपक्वता

अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) "।

(जोर दिया गया)

हालाँकि, वर्तमान मामले में, हम प्रावधानों से चिंतित हैं

समाधान प्रक्रिया से संबंधित आई एंड बी कोड। आई एंड बी कोड में प्रदान की गई व्यवस्था पूरी तरह से अलग है। आई एंड बी संहिता की धारा 30 के संदर्भ में, सी. ओ. सी. के घटक वित्तीय लेनदारों के बीच उचित बातचीत के बाद सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है और वे अपने मतदान हिस्से के अनुसार प्रस्तावित समाधान योजना पर वोट के रूप में अपनी राय व्यक्त करते हैं। सी. ओ. सी. की बैठक में, प्रस्तावित समाधान योजना को चर्चा के लिए रखा जाता है और सभी संबंधित और समाधान पेशेवरों की उपस्थिति में पूर्ण बातचीत के बाद, सी. ओ. सी. के घटक अंततः प्रस्तावित समाधान योजना को मंजूरी देने या न देने के अपने विकल्प (व्यवसाय/वाणिज्यिक निर्णय) का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे मामले में, कारणों को दर्ज न करने से वित्तीय लेनदारों का सामूहिक निर्णय दूषित नहीं होगा। विधायिका ने के. शशिधर बनाम के "वाणिज्यिक/व्यावसायिक निर्णय" को चुनौती देने की परिकल्पना नहीं की है।

वित्तीय लेनदारों को सामूहिक रूप से या उस मामले के लिए, इस मामले में, उनकी व्यक्तिगत राय ली जाती है।

63. तब यह तर्क दिया गया कि एन. सी. एल. ए. टी. ने असंतुष्ट वित्तीय लेनदारों को जवाब देने के लिए नहीं बुलाकर स्पष्ट त्रुटि की।

इसके समक्ष लंबित संबंधित अपीलों में दायर आवेदन, जिसमें समाधान आवेदक को समाधान योजना को संशोधित करने की अनुमति देने का अनुरोध भी शामिल है। हम इस प्रस्तुति में कोई गुण नहीं पाते हैं। एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दायर किए गए कथित आवेदन में दावा की गई राहत मामले को आगे नहीं ले जाएगी। क्योंकि, असहमत वित्तीय लेनदारों के लिए यह पर्याप्त है कि वे वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर अपने मतदान हिस्से के अनुसार मतदान करके प्रस्तावित समाधान योजना को अस्वीकार कर दें। वास्तव में, यदि असहमति जताने वाले वित्तीय लेनदारों का विरोध धारा 30 (2) या 61 (3) के तहत न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में है, तो स्थिति कुछ अलग हो सकती है। लेकिन इन मामलों में ऐसा नहीं है।

क्योंकि 270 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद एक संशोधित समाधान योजना पर विचार करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण खुला नहीं है। तदनुसार, एन. सी. एल. ए. टी. में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है क्योंकि इस तरह के आवेदन का मनोरंजन करना।

चूंकि, दोनों मामलों में, अनुमोदन का मत वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 66 प्रतिशत से अधिक हो गया था और फिर भी संशोधित प्रावधान का लाभ नहीं उठाया जा सका, क्योंकि यह केवल एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान आया था। निवेदन यह है कि न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर सकता है और दोनों मामलों में पक्षों को एनसीएलटी के समक्ष विचार करने के लिए खारिज कर सकता है।

संशोधित प्रावधान के आलोक में नए सिरे से कार्यवाही वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के प्रतिशत की सीमा आवश्यकता को घटाकर 66 प्रतिशत कर दिया गया है। हमें डर है कि हमारे लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना संभव नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप मामलों पर लागू प्रावधानों के अनुसार निर्देश जारी किए जाएंगे। इसलिए हम इस अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। मूल मुद्दों का जवाब देने और प्रासंगिकता से बचने के लिए, हम वकील द्वारा भरोसा किए गए अन्य रिपोर्ट किए गए निर्णयों में व्याख्या पर विस्तार नहीं करना चाहते हैं।

ई-कोर्ट रिपोर्ट

हम मानते हैं कि एन. सी. एल. ए. टी. ने संबंधित निगम की समाधान योजना को उचित रूप से समाप्त कर दिया है।

मतदान हिस्सेदारी के अपेक्षित प्रतिशत द्वारा अनुमोदित

और किसी भी वैकल्पिक समाधान योजना के अभाव में

270 दिनों की ट्यूटरी अवधि, अपरिहार्य अगली कड़ी है

संहिता की धारा 33 के तहत छूट। यह नज़रिया

अन्यथा, अपील विफल होनी चाहिए।

ऊपर, अपील खारिज कर दी जाती हैं। साथी

बर्खास्त कर दिया। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।